सत्यमेव जयते

भारत

के

नियंत्रक–महालेखापरीक्षक

का

31 मार्च 2002 को अंत हुए वर्ष

का प्रतिवेदन

(राजस्व प्राप्तियाँ)

बिहार सरकार

भारत

के

नियंत्रक–महालेखापरीक्षक

का

31 मार्च 2002 को अंत हुए वर्ष

का प्रतिवेदन

(राजस्व प्राप्तियाँ)

बिहार सरकार

http://cagindia.org/states/bihar/2002

विषय सूची

	कंडिका	पृष्ठ
प्रस्तावनात्मक टिप्पणियाँ		iii
विहंगावलोकन		v

अध्याय–1–सामान्य

राजस्व प्राप्तियों की प्रवृति	1.01	1
बजट अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियों में भिन्नतायें	1.02	3
संग्रहण की लागत	1.03	3
बिक्री कर निर्धारण के बकाये मामले	1.04	4
छल और अपवंचन	1.05	4
संग्रहण का विश्लेषण	1.06	5
बकाया राजस्व	1.07	5
लंबित अपील के मामले	1.08	7
लेखा परीक्षा के परिणाम	1.09	8
लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन और लेखा परीक्षा–आपत्तियाँ	1.10	8

अध्याय–2–बिक्री, व्यापार आदि पर कर

लेखा परीक्षा के परिणाम	2.01	10
वाणिज्य कर विभाग में आन्तरिक नियंत्रण तंत्र	2.02	11
कर भुगतान आस्थगन का गलत उपभोग किया जाना	2.03	26
बिक्री राशि का छिपाया जाना	2.04	27
करारोपण से छूट की गलत स्वीकृति	2.05	28
कर की संगणना में भूल	2.06	29
गलत दर से कर का लगाया जाना	2.07	29
अधिक कर संग्रहण के लिए अर्थदंड का नहीं लगाया जाना	2.08	30

अध्याय–3–राज्य उत्पाद

लेखा परीक्षा के परिणाम	3.01	31
उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती नहीं होने के कारण राजस्व की हानि	3.02	32
प्रशासनिक शुल्क का नहीं/कम उद्ग्रहण होना	3.03	32
देशी शराब की अधिक उठाव पर अतिरिक्त राशि का वसूली नहीं होना	3.04	33
शुल्क के अंतर की राशि का नहीं वसूला जाना	3.05	34

अध्याय–4–वाहनों पर कर

	कंडिका	पृष्ठ
लेखा परीक्षा के परिणाम	4.01	35
कर संग्रहण पर नियंत्रण की कमी	4.02	36
वाहनों से कर वसूली नहीं होना	4.03	36
वाहनों के गलत वर्गीकरण के फलस्वरूप राजस्व की कम वसूली	4.04	38
अन्य राज्यों से प्राप्त बैंक–ड्राफ्टों का निष्पादन	4.05	38

अध्याय–5–भू–राजस्व

लेखा परीक्षा के परिणाम	5.01	40
अतिक्रमित सार्वजनिक भूमि बंदोवस्त/खाली नहीं किया जाना	5.02	41
भू–लगान का निर्धारण और संग्रहण नहीं होना	5.03	41
उपकरों का नहीं लगाया जाना/कम लगाया जाना	5.04	42
विभागीय प्राप्तियों का व्यय हेतु अनधिकृत उपयोग	5.05	43

अध्याय–6–अन्य कर प्राप्तियाँ

लेखा परीक्षा के परिणाम	6.01	44

प्रवेश कर

अर्थदण्ड का नहीं लगाया जाना	6.02	45
प्रवेश कर का कम लगाया जाना	6.03	45
प्रवेश कर आरोपित नहीं किया जाना	6.04	46

अध्याय–7–खनिज रियायत , शुल्क तथा रॉयल्टियाँ

लेखा परीक्षा के परिणाम	7.01	47
खनिज प्राप्तियाँ	7.02	48
अर्थदंड का नहीं/कम लगाया जाना	7.03	56
बंदोबस्ती के दस्तावेजों के निष्पादन नहीं होने के कारण राजस्व की हानि	7.04	57

अध्याय–8–अन्य कर–भिन्न प्राप्तियाँ

लेखा परीक्षा के परिणाम	8.01	59
वन प्राप्तियाँ		
अतिक्रमित वन भूमि को खाली नहीं कराया जाना एवं सरकारी राजस्व अवरूद्ध होना	8.02	60
अवैध लकड़ी कटाई के फलस्वरूप राजस्व की क्षति	8.03	60

प्रस्तावनात्मक टिप्पणियाँ

31 मार्च 2002 को अंत हुए वर्ष का यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के अंतर्गत राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

नियंत्रक—महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्त्ते) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अधीन राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों की लेखापरीक्षा की जाती है। यह प्रतिवेदन राज्य प्राप्तियों, जिनमें बिक्री, व्यापार आदि पर कर, राज्य उत्पाद, वाहनों पर कर, भू-राजस्व, अन्य कर प्राप्तियाँ, खनिज रियायत, शुल्क और रॉयल्टियाँ तथा अन्य कर-भिन्न प्राप्तियाँ समाविष्ट हैं, की लेखापरीक्षा के परिणामों को प्रस्तुत करता है।

इस प्रतिवेदन में वर्ष 2001-02 में अभिलेखों की, की गयी नमूना लेखापरीक्षा के क्रम में प्रकाश में आये मामलों में से कुछ मामलों के साथ उन मामलों का भी उल्लेख किया गया है जो पूर्व के वर्षों में प्रकाश में तो आये पर पूर्ववर्त्ती वर्षों के प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किये जा सके थे।

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में 273.55 करोड़ रूपये राजस्व कर के नहीं लगाने/कम लगाने/कर की हानि से संबद्ध 2 समीक्षाओं सहित 27 कंडिकायें सम्मिलित हैं। मुख्य निष्कर्षो में से कुछ का उल्लेख नीचे किया गया है :–

1. सामान्य

वर्ष 2001–02 में बिहार सरकार की कुल प्राप्तियाँ 9839.29 करोड़ रूपये थी। कर राजस्व के 2318.95 करोड़ रूपये और कर भिन्न राजस्व के 286.70 करोड़ रूपये को मिलाकर राज्य सरकार ने कुल 2605.65 करोड़ रूपये का राजस्व संग्रहीत किया। भारत सरकार से कुल 7233.64 करोड़ रूपये (विभाज्य संघीय करों से राज्यों का हिस्सा 6176.62 करोड़ रूपये और सहायता अनुदान 1057.02 करोड़ रूपये) प्राप्त हुए। इस प्रकार, राज्य सरकार कुल राजस्व का मात्र 26 प्रतिशत ही संग्रहीत कर सकी। वर्ष 2001–02 की अवधि में बिक्री, व्यापार आदि पर कर (1412.96 करोड़ रूपये) और अ–लौह खनन और धातुकर्मीय उद्योग (39.20 करोड़ रूपये) क्रमशः कर राजस्व और कर–भिन्न राजस्व के मुख्य श्रोत थे।

(कंडिका 1.01(i) और (ii))

राज्य उत्पाद, मुद्रांक तथा निबंधन शुल्क में संग्रह के लागत मूल्य का प्रतिशतांक वर्ष 2001–02 के अवधि में उसी अवधि के अखिल भारतीय औसत से उल्लेखनीय रूप से उच्चतर था।

(कंडिका 1.03)

वाणिज्य कर, राज्य उत्पाद, वाहनों पर कर, भू–राजस्व, अ–लौह खनन तथा धातुकर्मीय उद्योग तथा अन्य विभागीय कार्यालयों के अभिलेखों की वर्ष 2001–02 अवधि में की गई नमूना जांच से 34785 मामलों में सन्निहित 450.25 करोड़ रूपये राशि के राजस्व के अवनिर्धारण/कम उद्ग्रहण/हानि प्रकाश में आये। वर्ष 2001–02 के अवधि के दौरान संबद्ध विभागों ने 6095 मामलों में सन्निहित 40.23 करोड़ रूपये के अवनिर्धारण आदि पर लेखा परीक्षा की टिप्पणियाँ स्वीकार की जिनमें सन्निहित 14.06 करोड़ रूपये के 1435 मामले वर्ष 2001–02 में तथा शेष पिछले वर्षो में बताये गये थे।

(कंडिका 1.09)

दिसम्बर 2001 तक निर्गत निरीक्षण प्रतिवेदन एवं लेखा परीक्षा आपत्तियों की संख्या जिनका निराकरण जून 2002 तक नहीं हो पाया था, क्रमशः 8291 तथा 37528 थी जिनमें 3144.95 करोड़ रूपये सन्निहित थे। 1828 निरीक्षण प्रतिवेदनों के संबंध में प्रथम उत्तर भी प्राप्त नहीं हुए यद्यपि निर्गत प्रतिवेदनों की प्राप्ति के एक माह के अन्दर उत्तर दिया जाना अपेक्षित था।

(कंडिका 1.10)

2. बिक्री, व्यापार आदि पर कर

"वाणिज्य कर विभाग में आंतरिक नियंत्रण तन्त्र" पर की गयी समीक्षा से निम्नलिखित तथ्य उद्घटित हुए :–

- 3 अंचलों में आवेदन प्राप्ति के एक माह के अन्दर निबंधन स्वीकृत करने के वैधानिक प्रावधान के पालन नहीं होने के फलस्वरूप वर्ष 1996–97 से 2000–01 के मध्य 17 से 37 प्रतिशत निबंधन लंबित रहे। पुनः 11 अंचलों में 94 व्यवसायियों के मामले में प्रारंभ में निर्धारित प्रतिभूति संशोधित नहीं किये गये और 31 व्यवसायियों के मामले में प्रतिभूति कम संशोधित किए गये। उपयुक्त आंतरिक नियंत्रण तन्त्र की अ–स्थापना को इंगित करते हुए न तो विभाग ने प्रतिभूति के निगरानी, समीक्षा एवं संशोधन के लिए कोई नियंत्रण पंजी का निर्धारण किया और न ही अंचलों ने संधारण किया।

  (कंडिका 2.02.06 (ii) एवं (iii) (ख))

- स्वीकृत कर के भुगतान की निगरानी के लिए विवरणियों की समीक्षा हेतु स्थापित आंतरिक नियंत्रण तन्त्र का पालन नहीं होने के फलस्वरूप 5 अंचलों में 11 व्यवसायियों के मामले में स्वीकृत कर के भुगतान में विलंब के लिए 27.32 करोड़ रूपये के न्यूनतम अर्थदण्ड आरोपित नहीं किये गये।

  (कंडिका 2.02.07 (क))

- कर निर्धारण संपन्न करने हेतु निर्धारित मापदण्ड के पालन नहीं होने से वर्ष 1996–97 से 2000–01 के मध्य 25 से 61 प्रतिशत कर निर्धारण लंबित रहे।

  (कंडिका 2.02.08)

- विभिन्न केन्द्रों/राज्य सरकार/विभागों से संग्रहित आँकड़ों/ सूचनाओं के तिर्यक जाँच से संबंधित वाणिज्य–कर आयुक्त के अनुदेशों का पालन नहीं होने से 4 अंचलों के 17 व्यवसायियों के मामले में अर्थदण्ड सहित 24 करोड़ रूपये के कर का आरोपन कम/नहीं हुआ। पुनः राज्य के बाहर से आयातित मालों के संबंध में लेखा परीक्षा द्वारा संग्रहित सूचनाओं के तिर्यक जांच से अर्थदण्ड सहित 5.84 करोड़ रूपये के कर के छल एवं अपवंचन उजागर हुए।

  (कंडिका 2.02.08 (क) (i) (ii) एवं (ख))

- 5 अंचलों के मामले में 12 व्यवसायियों द्वारा 22.62 करोड़ रूपये के निर्धारित कर के भुगतान में विलंब के लिए कर निर्धारण पदाधिकारी ने 46.08 करोड़ रूपये का अर्थदण्ड कम/नहीं लगाया। 5 अंचलों में कर निर्धारण पदाधिकारी, वास्तविक राशि के लिए नीलाम पत्र दायर करने में विफल रहे जिसके परिणामस्वरूप 5 व्यवसायियों के विरूद्ध 22.70 करोड़ रूपये के कम नीलाम पत्र दायर हुए।

  (कंडिका 2.02.09 (ख) एवं (ग))

- 4 अंचलों के 7 व्यवसायियों को कर प्रदत्त बिक्री एवं त्रुटि पूर्ण/अवैध घोषणा पत्रों पर अनियमित छूट देने के फलस्वरूप वर्ष 1996–97 से 1999–2000 के मध्य 1.29 करोड़ रूपये के कर का आरोपन नहीं हुआ।

  (कंडिका 2.02.10 (i))

- वर्ष 1990 से आंतरिक लेखा परीक्षा का संचालन नहीं हुआ जो आंतरिक नियंत्रण के एक आवश्यक अंग की कमी की ओर ईशारा करता है।

  (कंडिका 2.02.12)

- 3 अंचलों के 3 व्यवसायियों के मामले में 2.13 करोड़ रूपये के अस्थगित कर के निर्धारण तिथियों को भुगतान में विलंब के लिए सूद आरोप्य थे जो 1.70 करोड़ रूपये होते है।

  (कंडिका 2.03)

- 4 अंचलों में 9 व्यवसायियों द्वारा 28.69 करोड़ रूपये के क्रय/विक्रय राशि के छुपाव के कारण 4.26 करोड़ रूपये (अतिरिक्त कर, अधिभार एवं न्यूनतम आरोप्य अर्थदण्ड के साथ) के कर का कम आरोपन हुआ।

  (कंडिका 2.04)

3. राज्य उत्पाद

19 उत्पाद जिलो में 357 उत्पाद दुकानों की बंदोवस्ती नहीं होने और इन्हें विभागीय स्तर पर चलाने में विभाग की विफलता के फलस्वरूप 15.36 करोड़ रूपये के उत्पाद राजस्व की हानि हुई।

(कंडिका 3.02)

5 उत्पाद जिलों में 6 आसवन गृहों को बिक्री की गयी छोआ पर 8.38 करोड़ रूपये के प्रशासनिक शुल्क का या तो उद्ग्रहण नहीं हुआ या कम हुआ।

(कंडिका 3.03)

4. वाहनों पर कर

एक जिला परिवहन कार्यालय में, 12 मोटर वाहनों के मामले में कम दर पर कर का उद्ग्रहण हुआ जिसके फलस्वरूप 6.22 लाख रूपये के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

(कंडिका 4.04)

5. भू–राजस्व

एक जिला के अपर समाहर्त्ता के कार्यालय में, 196 व्यक्तियों द्वारा 10.11 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण को नियमित करने या हटाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गयी फलस्वरूप 4.50 करोड़ रूपये के सलामी एवं आवासीय लगान का निर्धारण/उद्ग्रहण नहीं हुआ।

(कंडिका 5.02)

3 जिलों में 6 राजस्व अंचलों में 96 रैयतों ने 57.9708 एकड़ कृषि योग्य भूमि को उस पर ईंट भट्ठा, क्रशर मशीन/दुकान/पेट्रोल पम्प आदि निर्मित/स्थापित

कर वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए परिवर्तित किया। परिणामस्वरूप 1.05 करोड़ रूपये के राजस्व की वसूली नहीं हुई।

(कंडिका 5.03)

6. अन्य कर प्राप्तियाँ

एक अंचल में, एक व्यवसायी 52.63 करोड़ रूपये के स्वीकृत प्रवेश कर का निर्धारित तिथि तक जमा करने में विफल रहे। परिणामस्वरूप 27.46 करोड़ रूपये के अर्थदण्ड का आरोपन नहीं हुआ।

(कंडिका 6.02)

7. खनिज रियायत, शुल्क एवं रॉयल्टियाँ

"खनिज प्राप्ति" पर समीक्षा से निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आये :–

5 जिलों में, 53.18 लाख रूपये के सुरक्षित जमा के साथ 29 बालूयुक्त क्षेत्र बंदोवस्त होने से रह गए जिसके परिणामस्वरूप उस सीमा तक राजस्व की हानि हुई।

(कंडिका 7.02.07)

8 जिलों में, अवैध रूप से खनन किए गए एवं कार्य के संचालन में प्रयुक्त कार्य संविदाओं में 3 करोड़ रूपये के अर्थदण्ड नहीं लगाये गये।

(कंडिका 7.02.09)

4 जिलों में 5.33 करोड़ रूपये के प्रमाणित बकाये के बदले 3.32 करोड़ रूपये सरकार को प्रतिवेदित किये गये। परिणामस्वरूप 2.01 करोड़ रूपये की सीमा तक उपरोक्त बकाये कम प्रदर्शित किए गये।

(कंडिका 7.02.11)

9 जिलों में 136 ईंट भट्ठा मालिकों ने 1.78 करोड़ रूपये की रॉयल्टी की समेकित राशि का भुगतान किये बिना ईंट भट्ठों का संचालन जारी रखा।

(कंडिका 7.02.12)

7 जिलों में, बिना रॉयल्टी के भुगतान एवं वैध परमिट के ईंट भट्ठों के संचालन के लिए 4.90 करोड़ रूपये के अर्थदण्ड या तो आरोपित नहीं किये गये या कम आरोपित किये गये।

(कंडिका 7.03)

8. अन्य कर भिन्न प्राप्तियाँ

एक वन प्रमंडल में, 116 मामलों में 113.0536 हेक्टेयर के अतिक्रमित वन भूमि को खाली कराने के लिए वन प्रमंडल पदाधिकारी ने अधिनियम के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग नहीं किया। परिणामस्वरूप रॉयल्टी एवं वन उत्पाद के क्षतिपूर्ति के रूप में 81.41 लाख रूपये की सीमा तक राजस्व अवरूद्ध रहे।

(कंडिका 8.02)

1.01 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृति

वर्ष 2001–02 के दौरान बिहार सरकार द्वारा संग्रहित कर एवं कर–भिन्न राजस्व, वर्ष के दौरान भारत सरकार से प्राप्त विभाज्य संघीय करो में राज्य का अंश एवं सहायता अनुदान तथा विगत 2 वर्षो के तत्संबंधी आँकड़े नीचे दिए गए है :–

(करोड़ रूपये में)

		1999-2000	1.4.2000 14.11.2000	15.11.2000 31.3.2001[2]	2000-2001[1]	2001-02
I.	राज्य सरकार द्वारा संग्रहित राजस्व	4250.65	2277.46	1243.45	3520.91	2605.65
	(क) कर राजस्व	3084.79	1722.51	1086.72	2809.23	2318.95
	(ख) कर–भिन्न राजस्व	1165.86	554.95	156.73	711.68	286.70
II.	भारत सरकार से प्राप्तियाँ	6408.88	4422.03	3234.38	7656.41	7233.64
	(क) विभाज्य संघीय करों मे राज्य का अंश	4962.59	3819.94	2755.69	6575.63	6176.62
	(ख) सहायता अनुदान	1446.29	602.09	478.69	1080.78	1057.02
III.	राज्य सरकार की कुल प्राप्तियाँ[2] (Iएवं II)	10659.53	6699.49	4477.83	11177.31	9839.29
IV.	III और I की प्रतिशतता	40	34	28	31	26

उपर्युक्त तालिका से यह पता चलता है कि वर्ष 2001–02 में राज्य सरकार कुल राजस्व प्राप्तियों (9839.29 करोड़ रूपये) का मात्र 26 प्रतिशत ही संग्रहीत कर सकी और 74 प्रतिशत प्राप्तियाँ भारत सरकार से मिली। वर्ष 1999–2000 से 2001–02 की अवधि में कुल राजस्व प्राप्तियों के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा राजस्व संग्रहण का अंशदान प्रायः स्थिर रहा।

(i) विगत 2 वर्षो के आँकड़ों के साथ–साथ वर्ष 2001–02 के दौरान संग्रहीत कर राजस्व का ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

(करोड़ रूपये में,

क्रमांक	राजस्व शीर्ष	1999-2000	1.4.2000 14.11.2000	15.11.2000 31.3.2001	2000-2001	2001-02	2000–2001 की अपेक्षा 2001–2002 मे वृद्धि (+) या ह्रास (–) की प्रतिशतता
1	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	2067.79	1115.98	705.49	1821.47	1412.96	(-) 22
2	राज्य उत्पाद	277.80	165.77	76.81	242.58	238.90	(-)2
3	मुद्रांक एवं निबंधन फीस	325.77	201.61	100.25	301.86	304.44	(+) 1
4	वाहनों पर कर	178.47	113.87	110.11	223.98	141.54	(-)37
5	विद्युत पर कर एवं शुल्क	85.25	29.67	7.10	36.77	14.08	(-) 62

---

1 *वर्ष 1999–2000 के आँकड़े विभाजन पूर्व बिहार के राजस्व प्राप्तियों को दर्शाते हैं जबकि 2000–01 के आकड़े विभाजन पश्चात बिहार के राजस्व प्राप्तियों को दर्शाते है।.*

2 *पूर्ण विवरण के लिए कृपया बिहार सरकार के वर्ष 2001–02 के वित्त लेखे में विवरणी।।–लघु शीर्षवार राजस्व का विस्तृत लेखा देखें। मुख्य शीर्ष "0020–निगम कर, 0021–निगम कर से भिन्न आय पर कर, 0028–आय और व्यय पर अन्य कर, 0032–सम्पति पर कर, 0044–सेवा पर कर, 0037–सीमा शुल्क, 0038–संघीय उत्पाद कर एवं 0045–वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क–लघु शीर्ष 901 निवल प्राप्तियों में राज्यों को समनुदिष्ट हिस्सा" के अंतर्गत आँकड़े, जो वित्त लेखा में "क–कर राजस्व" में दिखाये गये हैं, को "राज्य द्वारा संग्रहित राजस्व" से हटाकर" विभाज्य संघीय करों में राज्य का अंश" में सम्मिलित कर उक्त विवरणी में दिखाया गया है।*

(करोड़ रूपये में)

क्रमांक	राजस्व शीर्ष	1999-2000	1.4.2000 14.11.2000	15.11.2000 31.3.2001	2000-2001	2001-02	2000–2001 की अपेक्षा 2001–2002 मे बृद्धि (+) या ह्रास (–) की प्रतिशतता
6	भू–राजस्व	28.67	11.38	22.95	34.33	34.08	(-) 1
7	वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	27.10	14.28	9.10	23.38	19.62	(-) 16
8	माल एवं यात्रियों पर कर स्थानीय क्षेत्रों में वस्तुओं के प्रवेश पर कर	93.92	69.94	54.90	124.84	153.32	(+) 23
9	कृषि आय पर कर	0.02	00.01	0.01	0.02	0.01	(-) 50
	कुल	3084.79	1722.51	1086.72	2809.23	2318.95	(-) 17

वर्ष 2000–01 की तुलना में वर्ष 2001–02 में भिन्नता का मुख्य कारण बिहार राज्य का बंटवारा कर दिनांक–15.11.2000 को झारखंड राज्य का बनना था।

गत वर्ष की तुलना में प्राप्तियों में महत्वपूर्ण भिन्नता के कारण यद्यपि संबद्ध विभागों से मांगे गये (जून 2002), किन्तु प्राप्त नहीं हुए हैं (सितम्बर 2003)।

(ii) विगत 2 वर्षो के आँकड़ों के साथ–साथ वर्ष 2001–02 के दौरान संग्रहित कर भिन्न राजस्व का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

(करोड़ रूपये में)

क्रमांक	राजस्व शीर्ष	1999-2000	1.4.2000 14.11.2000	15.11.2000 31.3.2001	2000-2001	2001-02	2000–2001 की अपेक्षा 2001–2002 मे बृद्धि (+) या ह्रास (–) की प्रतिशतता
1.	अ–लौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	707.56	382.57	27.35	409.92	39.20	(-) 90
2.	वानिकी एवं वन्य जीवन	28.03	10.76	0.74	11.50	17.07	(+) 48
3.	ब्याज प्राप्तियाँ	135.75	11.53	19.15	30.68	11.75	(-) 62
4.	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	28.04	15.39	11.24	26.63	24.49	(-) 8
5.	अन्य	266.48	134.70	98.25	232.95	194.19	(-) 17
	कुल	1165.86	554.95	156.73	711.68	286.70	(-) 60

गत वर्ष की तुलना में प्राप्तियों में महत्वपूर्ण भिन्नता के कारण यद्यपि संबद्ध विभागों से मांगे गये (जून 2002) किन्तु प्राप्त नहीं हुए हैं (सितम्बर 2003)।

1.02 बजट अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियों के बीच भिन्नताएँ

वर्ष 2001–02 के दौरान मुख्य राजस्व शीर्षों में बजट अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियों के बीच भिन्नताएँ नीचे दी गई है :–

(करोड़ रूपये में)

क्रमांक	राजस्व शीर्ष	पुनरीक्षित बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियां	भिन्नताएँ वृद्धि (+) ह्रास (–)	प्रतिशतता
क	कर राजस्व				
1	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	1450.00	1412.96	(-) 37.04	(-) 3
2	राज्य उत्पाद	275.00	238.90	(-) 36.10	(-) 13
3	मुद्रांक एवं निबंधन फीस	340.00	304.44	(-) 35.56	(-) 10
4	वाहनों पर कर	150.00	141.54	(-) 8.46	(-) 6
5	विद्युत पर कर एवं शुल्क	34.96	14.08	(-) 20.88	(-) 60
6	भू–राजस्व	35.00	34.08	(-) 0.92	(-) 3
7	वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	19.19	19.62	(+) 0.43	(+) 2
8	माल एवं यात्री पर कर–स्थानीय क्षेत्रों में वस्तुओं के प्रवेश पर कर	138.21	153.32	(+) 15.11	(+) 11
ख	कर–भिन्न राजस्व				
1	अ–लौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	50.00	39.20	(-) 10.80	(-) 22
2	वानिकी एवं वन्य जीवन	5.07	17.07	(+) 12.00	(+) 237
3	ब्याज प्राप्तियाँ	89.08	11.75	(-) 77.33	(-) 87
4	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	17.67	24.49	(+) 6.82	(+) 39

बजट अनुमानों और वास्तविक प्राप्तियों के बीच भिन्नता के कारण यद्यपि संबद्ध विभागों से मांगे गये (जून 2002), किन्तु प्राप्त नहीं हुए है (सितम्बर 2003)।

1.03 संग्रहण की लागत

वर्ष 1999–2000, 2000–01 तथा 2001–02 की अवधि में मुख्य राजस्व प्राप्तियों से संबंधित सकल संग्रहण, उस संग्रहण पर किया गया व्यय तथा सकल संग्रहण से ऐसे व्यय की प्रतिशतता के साथ–साथ वर्ष 2000–01 के लिए सकल संग्रहण की तुलना में संग्रहण पर हुए व्यय से संबंधित अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता नीचे दर्शायी गयी है :–

(करोड़ रूपये में)

क्रमांक	राजस्व शीर्ष	वर्ष	सकल संग्रहण	संग्रहण पर व्यय	सकल संग्रहण से व्यय की प्रतिशतता	वर्ष 2000–01 के लिए अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता
1	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	1999-2000	2067.79	32.99	1.60	1.31
		2000-2001	1821.47	24.96	1.37	
		2001-02	1412.96	18.81	1.33	
2	राज्य उत्पाद	1999-2000	277.80	20.34	7.32	3.10
		2000-2001	242.58	17.03	7.02	
		2001-02	238.90	13.72	5.74	

(करोड़ रूपये में)

क्रमांक	राजस्व शीर्ष	वर्ष	सकल संग्रहण	संग्रहण पर व्यय	सकल संग्रहण से व्यय की प्रतिशतता	वर्ष 2000–01 के लिए अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता
3	मुद्रांक एवं निबंधन फीस	1999-2000	325.77	19.11	5.87	4.39
		2000-2001	301.86	17.41	5.76	
		2001-02	304.44	18.22	5.98	
4	वाहनों पर कर	1999-2000	178.47	6.52	3.65	3.48
		2000-2001	223.98	4.88	2.18	
		2001-02	141.54	4.14	2.92	

उपर्युक्त तालिका से यह पता चलता है कि राज्य उत्पाद, मुद्रांक तथा निबंधन शुल्क के संग्रहण पर किये गये व्यय की प्रतिशतता वर्ष 2000–01 के अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता से अधिक थी।

1.04 बिक्री कर निर्धारण के बकाये मामले

वर्ष 1997–98 से 2001–02 की अवधि में प्रत्येक वर्ष के प्रारम्भ में बिक्री कर निर्धारण संबंधित लंबित मामले, वर्ष के दौरान कर निर्धारण योग्य मामले, वर्ष के दौरान निष्पादित किये गये मामले एवं वर्ष के अंत में निष्पादन योग्य लंबित मामलों की संख्या के विवरण, जैसा कि विभाग द्वारा प्रस्तुत किये गये, नीचे दिये गये हैं :–

वर्ष	प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान कर निर्धारण योग्य मामले	कुल	वर्ष के दौरान निष्पादित मामले	वर्ष के अंत में शेष	कॉलम 6 की 4 से प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7
1997-98	83059	96017	179076	83488	95588	53
1998-99	95588	103094	198682	127830	70852	36
1999-2000	70852	100654	171506	79938	91568	53
2000-2001	82902[3]	96560	179462	50407	129055	72
2001-2002	129055	123660	252715	55077	197638	78

बकाये मामलों को नियंत्रित रखने के लिए 1998–99 में किए गये प्रयासों को बनाए रखते हुए बकाये में और कमी लाने हेतु और उपाय करने की आवश्यकता है।

1.05 छल और अपवंचन

वर्ष के प्रारंभ में लंबित कर और शुल्क से संबंधित छल और अपवंचन के मामले, विभागीय प्राधिकारियों द्वारा पता लगाये गये मामलों की संख्या, वर्ष के दौरान कर निर्धारित/जाँच सम्पन्न हुए मामलों की संख्या एवं व्यवसायियों के विरूद्ध की गयी कर/शुल्क की अतिरिक्त माँग (अर्थदंड आदि सहित) तथा मार्च 2002 के अंत में निष्पादन के लिए लंबित मामलों की संख्या के विवरण, जैसा संबद्ध विभागों द्वारा प्रस्तुत किये गये, नीचे दिए जा रहे हैं :–

3 *विभाग द्वारा पूर्व में दिये गये और वर्ष 1999–2000 के प्रतिवेदन में दिखाये गये अंतशेष 91568 से 8666 का अन्तर है। विभाग ने अन्तर का कारण झारखंड के मामलों को हटाया जाना बताया।*

(लाख रूपये में)

क्रमांक	विभाग	31 मार्च 2001 को लंबित मामले	2001–02 के दौरान पता लगाये गये मामले	मामलों की संख्या जिसमें निर्धारण/जांच संपन्न हुए तथा अर्थदण्ड आदि सहित अतिरिक्त मांग सृजित की गयी		31 मार्च 2002 को निष्पादन के लिए लंबित मामले
				मामलों की संख्या	मांग की राशि	
1	वित्त (वाणिज्य कर)	225	719	605	252.92	339
2	परिवहन	-	268	-	14.67	268
3	उत्पाद एवं मद्य निषेद्य	12	-	-	53.23	12

अन्य विभागों से भी सूचनायें मांगी गयी (अप्रील 2002) किन्तु विभागीय उच्च अधिकारियों को अनेक स्मार देने एवं व्यक्तिगत संपर्को के बावजूद प्राप्त नहीं हुई (सितम्बर 2003)।

1.06 संग्रहण का विश्लेषण

वित्त (वाणिज्यकर) विभाग द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2001–02 के दौरान बिक्री, व्यापार आदि पर कर का कुल संग्रहण (कर निर्धारण के पूर्व तथा नियमित कर निर्धारण के बाद) तथा विगत दो वर्षो के तदनरूपी आँकड़ों के अलग–अलग ब्यौरे निम्नलिखित है :–

(करोड़ रूपये में)

वर्ष	निर्धारण के पूर्व संग्रहित राशि	नियमित निर्धारण के बाद संग्रहित राशि		कर का कुल संग्रहण	वित्त लेखा के अनुसार कुल संग्रहण	कुल संग्रहण में निर्धारण पूर्व संग्रहण की प्रतिशतता (कॉलम 5 की तुलना में 2)
		अतिरिक्त मांग	कर एवं शुल्क के भुगतान में विलंब के लिए अर्थदण्ड			
1	2	3	4	5	6	7
1999-2000	1995.22	58.03	1.04	2054.29	2067.79	97
2000-2001	1794.11	19.11	1.55	1814.77	1821.47	99
2001-2002	1387.17	7.94	-	1395.06	1412.96	99

इस प्रकार नियमित कर निर्धारण के पश्चात् अर्थदण्ड सहित अतिरिक्त कर संग्रहण कुल कर संग्रहण का निम्न अंश था।

1.07 बकाया राजस्व

विभागों द्वारा प्रतिवेदित प्रमुख शीर्षों के अंतर्गत 31 मार्च 2002 को बकाया राजस्व निम्नवत् था :–

क्रमांक	राजस्व शीर्ष	कुल बकाया	पाँच वर्षो से अधिक पुराना बकाया	अभ्युक्तियाँ
1	2	3	4	5
		(करोड़ रूपये में)		
1	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	905.06	213.25	905.06 करोड़ रूपये में से 249.93 करोड़ रूपये की माँग की वसूली के लिए बकाय भू–राजस्व की तरह नीलामवाद दायर किये गये। 464.60 करोड़ रूपये की वसूली पर न्यायालयों एवं सरकार द्वारा रोक लगायी गयी। आवेदन के सुधार/संवीक्षा के कारण 1.71 करोड़ रूपये की वसूली रोकी गयी। शेष 188.82 करोड़ रूपये के बकाये के संबंध में की गयी विशिष्ट कार्रवाई की सूचना, यद्यपि इसकी माँग की गयी थी (अप्रैल 2002), नहीं दी गयी (सितम्बर 2003)।
2	अ–लौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	75.28	31.55	75.28 करोड़ रूपये में से 62.63 करोड़ रूपये की माँग की वसूली के लिये बकाये भू–राजस्व की तरह नीलामवाद दायर किये गये। 1.14 करोड़ रूपये की वसूली न्यायालय द्वारा रोक दी गयी । शेष 11.51 करोड़ रूपये के बकाये के सम्बंध में की गयी विशिष्ट कार्रवाई की सूचना, यद्यपि इसकी माँग की गयी थी (अप्रैल 2002) नहीं दी गयी (सितम्बर 2003)।
3	वाहनों पर कर	80.32	अप्राप्त	80.32 करोड़ रूपये में से 48.72 करोड़ रूपये की माँग की वसूली के लिए बकाए भू–राजस्व की तरह नीलामवाद दायर किये गये। 1.40 करोड़ रूपये एवं 3.68 करोड़ रूपये की वसूली पर क्रमशः उच्च न्यायालय एवं सरकार द्वारा रोक लगायी गयी। 31.55करोड़ रूपये के बकाये के संबंध में की गयी विशिष्ट कार्रवाई की सुचना विभाग द्वारा नहीं दी गयी। (अप्रैल 2002) यद्यपि इसकी माँग की गयी थी (सितम्बर 2003)।
4	ईख पर कर	16.18	12.50	16.18 करोड़ रूपये में से 4.82 करोड़ रूपये की माँग की वसूली के लिये बकाये भू–राजस्व की तरह नीलामवाद दायर किये गये। 0.47 करोड़ रूपये एवं 10.89 करोड़ रूपये की वसूली पर क्रमशः न्यायालयों एवं सरकार द्वारा रोक लगायी गयी।
5	विद्युत पर कर और शुल्क	9.03	5.32	9.03 करोड़ रूपये के बकाये के बारे में विभाग द्वारा की गयी विशिष्ट कार्रवाई की सूचना यद्यपि इसकी माँग की गयी थी (अप्रैल 2002), नहीं दी गयी (सितम्बर 2003)।
6	प्रवेश कर	7.03	1.48	7.03 करोड़ रूपये में से 2.52 लाख रूपये का अपलेखन संभावित था। शेष 6.97 करोड़ रूपये बकाये राशि के संबंध में की गई विशिष्ट कार्रवाई की सूचना, विभाग द्वारा नहीं दी गयी (अप्रैल 2002) यद्यपि इसकी मांग की गयी थी (सितम्बर 2003)।

क्रमांक	राजस्व शीर्ष	कुल बकाया	पाँच वर्षों से अधिक पुराना बकाया	अभ्युक्तियाँ
1	2	3	4	5
		(करोड़ रूपये में)		
7	राज्य उत्पाद	44.74	37.96	44.74 करोड़ रूपये में से 3.36 करोड़ रूपये की माँग की वसूली के लिये बकाये भू–राजस्व की तरह नीलामवाद दायर किये गये। 2.64 करोड़ रूपये एवं 0.04 करोड़ रूपये की वसूली पर क्रमशः न्यायालयों एवं सरकार द्वारा रोक लगायी गयी। 0 .07 करोड़ रूपये की वसूली भूल–सुधार/पुनर्विचार के कारण रूकी रही। 0.12 करोड़ रूपये की राशि अपलेखन योग्य थी। शेष 38.51 करोड़ रूपये के बकाये के संबंध में की गयी विशिष्ट कार्रवाई की सूचना विभाग द्वारा नहीं दी गयी (अप्रैल 2002) यद्यपि इसकी माँग की गयी थी (सितम्बर 2003)।
8	मनोरंजन कर	3.42	0.97	3.42 करोड़ रूपये में से 1.94 करोड़ रूपये मांग की वसूली के लिये बकाये भू–राजस्व की तरह नीलामाबाद दायर किये गये। 0.36 करोड़ रूपये की वसूली पर न्यायालय द्वारा रोक लगायी गयी। शेष 1.12 करोड़ रूपये के बकाये राशि के संबंध में की गयी विशिष्ट कार्रवाई की सूचना विभाग द्वारा नहीं दी गयी (अप्रैल 2002) यद्यपि इसकी मांग की गयी थी (सितम्बर 2003)।

वर्ष 2001–02 के अंत में अन्य विभागों से संबंधित संग्रहण हेतु लंबित बकाये राजस्व की स्थिति सरकार द्वारा सूचित नहीं की गयी (अप्रैल 2002) यद्यपि इसकी माँग की गयी थी (सितम्बर 2003) ।

1.08 लंबित अपील के मामले

वाणिज्यकर विभाग द्वारा दी गयी सूचना (दिसम्बर 2002) के अनुसार उनके द्वारा प्रशासित बिक्री, व्यापार आदि पर कर एवं अन्य कराधान नियमों के अधीन 1997–98 से 2001–02 की अवधि के दौरान दायर की गयी अपील के मामलों की संख्या, निष्पादित अपीलों की संख्या तथा हर एक वर्ष के अंत में अपीलीय प्राधिकारियों के समक्ष लंबित मामलों की संख्या निम्नवत है :–

वर्ष	प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान दायर की गयी अपीलों की संख्या	कुल	वर्ष के दौरान निपटायी गयी अपीलों की संख्या	वर्ष के अन्त में शेष	कुल मामलों की संख्या से निपटाये गये मामलों की प्रतिशतता
1997–98	9614	2498	12112	3406	8706	28
1998–99	8706	2641	11347	4356	6991	38
1999–2000	6991	5390	12381	3406	8975	28
2000–2001	2248[4]	534	2782	606	2176	22
2001–2002	2176	1417	3593	1824	1769	51

4 *विभाग द्वारा पूर्व में दिये गये और वर्ष 1999–2000 के प्रतिवेदन में दिये गये अंतशेष 8975 में 6727 का अन्तर है। विभाग ने अन्तर का कारण झारखंड के मामलों को हटाया जाना बताया।*

1.09 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 2001–02 के दौरान वाणिज्यकर, राज्य उत्पाद, मोटर वाहनों पर कर, भू–राजस्व, अ–लौह खनन और धातुकर्मीय उद्योग तथा अन्य विभागीय कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच से 34785 मामलों में निहित 450.25 करोड़ रूपये के राजस्व का अवनिर्धारण/कम उद्ग्रहण/हानि का पता चला। वर्ष 2001–02 के दौरान संबंधित विभागों ने 6095 मामलों मे सन्निहित 40.23 करोड़ रूपये के अवनिर्धारण आदि स्वीकार किये जिनमें 14.06 करोड़ रूपये से अन्तर्ग्रस्त 1435 मामले 2001–02 की अवधि में और शेष पूर्ववर्ती वर्षो में लेखा परीक्षा में बताये गये।

इस प्रतिवेदन में 273.55 करोड़ रूपये के कर प्रबंधन के विभिन्न पक्षों की त्रुटियों को दर्शाते हुए 2 समीक्षाओं सहित 27 कंडिकाये सम्मिलित हैं। लेखा परीक्षा में बताये गये अवनिर्धारण तथा अन्य अनियमितताओं के मामलों मे, ये मामले महत्वपूर्ण मामलों को निरूपित करते हैं। अन्य मामलों में अंतिम उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2003)।

1.10 लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन और लेखा परीक्षा आपत्तियाँ

(क) स्थानीय लेखा परीक्षा के दौरान प्रकाश में आयी वित्तीय अनियमितताओं तथा प्रारंभिक अभिलेखों में त्रुटियों से संबद्ध लेखा परीक्षा आपत्तियाँ जिनका निराकरण तत्काल नहीं हो पाता है, उन्हें लेखा परीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से कार्यालय प्रधानों और उच्चतर विभागीय प्राधिकारियों को त्वरित कार्रवाई हेतु भेजा जाता है। अतिमहत्वपूर्ण अनियमितताओं की सूचना विभागाध्यक्ष एवं सरकार को तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई हेतु दी जाती है। इसके अतिरिक्त 6 महीनों से अधिक लंबित ऐसी आपत्तियों का अर्द्धवार्षिक प्रतिवेदन सरकार के समक्ष शीघ्र निष्पादन के लिए भेजा जाता है।

दिसम्बर 2001 तक निर्गत निरीक्षण प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षा आपत्तियाँ जिनका निष्पादन विभाग द्वारा 30 जून 2002 तक नहीं किया गया था, की संख्या विगत 2 वर्षों के तदनरूपी आँकड़ों के साथ नीचे दी जा रही है :–

			जून के अंत तक
	2000	2001	2002
1. लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	10324	7356	8291
2. लंबित लेखापरीक्षा आपत्तियों की संख्या	43703	40695	37528
3. अंतर्ग्रस्त राजस्व प्रभाव (करोड़ रूपये में)	3492.50	2483.90	3144.95

(ख) निम्नलिखित विभागों से संबंधित लेखा परीक्षा आपत्तियाँ विशेष रूप से अधिक थी :–

(करोड़ रूपये में)

क्रमांक	विभाग	राजस्व शीर्ष	लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	लंबित लेखापरीक्षा आपत्तियों की संख्या	अधिकतम समय से लंबित प्रतिवेदन जिस वर्ष से संबंधित है	अंतर्ग्रस्त राशि
1	राजस्व	भू–राजस्व	4193	13802	1980–81	544.52
2	वित्त (वाणिज्यकर)	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	1304	11153	1980–81	796.23
3	उत्पाद एवं मद्य निषेध	राज्य उत्पाद	653	4182	1981–82	650.37
4	परिवहन	वाहनों पर कर	417	3319	1981–82	341.68
5	खनन एवं भूतत्व	अ–लौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	293	1468	1982–83	69.33
6	जल संसाधन	जल दर	387	1586	1982–83	563.20
7	ईख	ईख पर कर	181	459	1981–82	87.01
8	वन एवं पर्यावरण	वन प्राप्तियाँ	47	125	1981–82	27.27

(ग) यद्यपि सरकार के निर्देशानुसार निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रथम उत्तर उनकी प्राप्ति के एक महीने के अन्दर विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किया जाना है, परन्तु दिसम्बर 2001 तक निर्गत 1828 निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबद्ध प्रथम उत्तर भी निम्नलिखित विभागों से जून 2002 तक प्राप्त नहीं हुए थे :–

क्रमांक	विभाग	राजस्व शीर्ष	निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या जिनके प्रथम उत्तर भी प्राप्त नहीं हुए	अधिकतम समय से लंबित प्रतिवेदन जिस वर्ष से संबंधित है
1.	राजस्व	भू–राजस्व	1341	1982-83
2.	उत्पाद एवं मद्य–निषेध	राज्य उत्पाद	44	1982-83
3.	परिवहन	वाहनों पर कर	123	1981-82
4.	वित्त (वाणिज्यकर)	(i) बिक्री, व्यापार आदि पर कर	38	1999-2000
		(ii) विद्युत शुल्क (iii) माल एवं यात्रियों पर कर (iv) मनोरंजन कर	20	1999-2000
5.	राजस्व (निबंधन विभाग)	मुद्रांक एवं निबंधन फीस	132	1984-85
6.	खनन एवं भू–तत्व	अ–लौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	46	1982-83
7.	ईख	ईख पर कर	55	1981-82
8.	जल संसाधन	जल दर	18	1998-99
9.	वन एवं पर्यावरण	वन प्राप्तियाँ	11	1984-85
		कुल	**1828**	

उपर्युक्त स्थिति से सरकार के मुख्य सचिव को अवगत कराया गया (जुलाई एवं अगस्त 2002), परन्तु कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (सितम्बर 2003)। विभाग द्वारा लेखा परीक्षा आपत्तियों का अनुपालन संतोषप्रद नहीं होने के फलस्वरूप लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों और लेखा परीक्षा आपत्तियों की प्रवृति बढ़ती हुई देखी गयी।

अध्याय 2: बिक्री, व्यापार आदि पर कर

2.01 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 2001–02 के दौरान विभिन्न वाणिज्यकर अंचलों में बिक्री कर निर्धारण एवं वापसी संबंधी अभिलेखों की लेखा परीक्षा में नमूना जांच से 459 मामलों में 270.53 करोड़ रूपये की राशि के अवनिर्धारण का पता चला, जो सामान्यतः निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आते है :–

(करोड़ रूपये में)

क्रमांक	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि
1.	कर से छूट की गलत अनुमति	196	24.31
2.	कर की रियायती दर की गलत अनुमति	15	12.59
3.	बिक्री राशि के गलत निर्धारण के कारण कर का कम लगाया जाना	76	10.16
4.	अर्थदण्ड का नहीं लगाया जाना	38	2.23
5.	अतिरिक्त कर एवं अधिभार का नहीं/कम लगाया जाना	52	1.73
6.	गलत दरों से कर का लगाया जाना	26	0.56
7.	अन्य अनियमितताएँ	56	219.00
	कुल	**459**	**270.53**

वर्ष 2001–02 के दौरान संबंधित विभाग ने 25 मामलों में अंतर्ग्रस्त 0.55 करोड़ रूपये के अवनिर्धारण आदि को स्वीकार किया जिनमें से 0.16 करोड़ रूपये के अंतर्ग्रस्त 6 मामले वर्ष 2001–02 तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षो की लेखा परीक्षा में बताये गये थे। दृष्टांतस्वरूप कुछ मामले एवं "वाणिज्यकर विभाग में आंतरिक नियंत्रण तंत्र" पर एक समीक्षा जिसमें 192.76 करोड़ रूपये का कर अंतर्ग्रस्त है, अनुवर्ती कंडिकओं में दिये गये है :–

2.02 वाणिज्य कर विभाग में आंतरिक नियंत्रण तंत्र

2.02.01 प्रस्तावना

आंतरिक नियंत्रण का उद्देश्य है अधिनियमों, नियमों एवं विभागीय अनुदेशों के उचित कार्यान्वयन का न्यायपूर्ण आश्वासन का प्रावधान किया जाना। इससे छल एवं अन्य अनियमितताओं का पता लगाने एवं रोकने में मदद मिलती है। आंतरिक नियंत्रण कुशल एवं तत्काल सेवा तथा कर एवं शुल्क के अपवंचन के विरूद्ध समुचित संरक्षण के लिए एक विश्वसनीय वित्तीय एवं प्रबंधन सूचना तंत्र की संरचना में भी मदद करती है।

अतः यह विभाग का उत्तरदायित्व है कि उचित आंतरिक नियंत्रण संरचना की स्थापना सुनिश्चित की जाय और उसे प्रभावी बनाये रखने के लिए समय–समय पर समीक्षा एवं अद्यतन किया जाय।

बिक्री –कर अधिनियमों, उसके अधीन बने नियमों एवं समय–समय पर विभाग द्वारा निर्गत प्रशासकीय अनुदेशों के तहत बिक्री–कर का आरोपण, निर्धारण एवं संग्रहण शासित होता है। व्यवसायियों से विवरणी प्राप्त होते ही अधिनियमों के प्रावधानों एवं समय–समय पर निर्गत शासकीय निर्देशों के अनुसार कर–निर्धारण का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित किये जाने का दायित्व विभाग का है। अपने कार्यों के विभिन्न पहलुओं के अनुश्रवण के लिए विभाग ने कुछ नियंत्रण मानक स्थापित किये हैं। लेखा परीक्षा में विवरणी एवं कर निर्धारण के संदर्भ में उन मानकों की पर्याप्तता पर समीक्षा की गयी।

इस विषय पर एक समीक्षा भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के मार्च 1993 को समाप्त हुए वर्ष के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की कंडिका 2.2 में भी उल्लेख है; अभी तक लोक लेखा समिति द्वारा प्रतिवेदन पर चर्चा नहीं की गयी है।

2.02.02 संगठनात्मक ढॉचा

वाणिज्यकर विभाग में अधिनियमों एवं नियमों के परिपालन के लिए शीर्ष स्तर पर वाणिज्यकर आयुक्त (वा0क0आ0) उत्तरदायी हैं। उन्हें मुख्यालय स्तर पर वरीय संयुक्त आयुक्त, अन्वेषण ब्यूरो (अ0ब्यू0), प्रशासन, निगरानी एवं अनुश्रवण और अन्य पदाधिकारियों का सहयोग प्राप्त होता है। बिहार राज्य 7 वाणिज्यकर प्रमंडलों[1] एवं 47 अंचलों में विभाजित है और प्रत्येक के प्रभारी क्रमशः संयुक्त आयुक्त प्रशासन एवं वाणिज्यकर उपायुक्त, सहायक आयुक्त होते है। प्रत्येक प्रमंडल में अ0ब्यू0 के एक उपायुक्त, पदस्थापित हैं जो संयुक्त आयुक्त, प्रशासन को सहयोग करते हैं तथा निगरानी एवं अनुश्रवण (मोनिटरिंग) के एक उपायुक्त भी पदस्थापित हैं जो सीधे वाणिज्यकर आयुक्त के अधीन कार्यरत हैं। बाजार सर्वेक्षण के लिए अंचल प्रभारी उत्तरदायी हैं।

---

[1] *पटना, पटना केन्द्रीय, गया, तिरहुत, दरभंगा, पूर्णिया और भागलपुर।*

2.02.03 लेखा परीक्षा का क्षेत्र

1995–96 से 2000–01 की अवधि में बिक्री–कर संबंधित आंतरिक नियंत्रण उपायों के कृत्यों की प्रभावकारिता की समीक्षा की गयी। वाणिज्यकर आयुक्त, बिहार, अ0ब्यू0, मुख्यालय 2 प्रमंडलीय अ0ब्यू0 2 निगरानी एवं अनुश्रवण कोषांग के कार्यालयों से वा0क0आ0, बिहार एवं राज्य के 47 में से 14[2] अंचलों के अभिलेखों की जाँच की गयी। लेखा परीक्षा में आंतरिक नियंत्रण मानक एवं उनके अनुश्रवण की पर्याप्तता की समीक्षा की गयी।

2.02.04 विशिष्टताएँ

(i) तीन अंचलों में, आवेदन की प्राप्ति के एक माह के भीतर निबंधन स्वीकृत करने के कानून के प्रावधानों का दृढता से पालन नहीं किये जाने के फलस्वरूप 1996–97 से 2000–01 के दौरान निबंधन का विलंबन 17 से 37 प्रतिशत था। तदन्तर, 11 अंचलों में 94 व्यवसायियों के मामले में प्रारम्भ में निर्धारित की गयी प्रतिभूति का संशोधन नहीं किया गया और 31 व्यवसायियों के मामले में प्रतिभूति कम पर संशोधित किया गया। प्रतिभूति पर नजर रखने, उसकी समीक्षा और संशोधन के लिए न विभाग ने तो किसी नियंत्रण पंजी निर्दिष्ट किया न अंचलों द्वारा संधारित ही किया जो और कोई उपयुक्त आंतरिक नियंत्रण तंत्र का स्थापित नहीं किया जाना बताता है।

(कंडिका 2.02.06 (ii) और (iii) (ख))

(ii) स्वीकृत कर के भुगतान पर नजर रखने के लिए विवरणी की समीक्षा हेतु स्थापित आंतरिक नियंत्रण तंत्र का दृढता से पालन नहीं किये जाने के फलस्वरूप 5 अंचलों के 11 व्यवसायियों द्वारा स्वीकृत कर भुगतान में विलंब के लिए 27.32 करोड़ रूपये का न्यूनतम अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया।

(कंडिका 2.02.07(अ))

(iii) कर निर्धारण को पूरा करने संबंधी विहित मानदंड का दृढता से पालन नहीं करने के फलस्वरूप 1996–97 से 2000–01 के दौरान कर निर्धारण का विलंबन 25 प्रतिशत और 61 प्रतिशत के मध्य था।

(कंडिका 2.02.08)

(iv) विभिन्न केन्द्रीय/राज्य सरकार/विभागों से प्राप्त आँकडे/सूचना की तिर्यक जाँच किये जाने के वा0क0आ0 के निर्देश का पालन नहीं किए जाने के फलस्वरूप 4 अंचलों के 17 व्यवसायियों के मामले में 24 करोड रूपये अर्थदण्ड सहित कर कम/नहीं

---

2 केन्द्रीय अंचल, कोलकाता, दानापुर, हाजीपुर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पटना सिटी पश्चिम, पटना सिटी पूर्व, पटना उत्तरी, पटना दक्षिणी, पटना विशेष, पटना पश्चिम, पाटलिपुत्र, औरंगाबाद और जहानाबाद।

आरोपित किया गया। तदन्तर, लेखा परीक्षा द्वारा राज्य के बाहर से आवक मालों के संदर्भ में एकत्र की गयी सूचना की तिर्यक जाँच से 5.84 करोड़ रूपये के अर्थदण्ड सहित कर छल एवं अपवंचन का पता चला।

(कंडिका 2.02.08 (अ) (i)(ii) और (ब))

(v) 5 अंचलों में 12 व्यवसायियों द्वारा 22.66 करोड़ रूपये के निर्धारित कर के भुगतान में चूक होने पर कर निर्धारण पदाधिकारियों ने 46.08 करोड़ रूपये का अर्थदण्ड नहीं/कम आरोपित किया। तदन्तर 5 अंचलों में वास्तविक राशि के लिए नीलामबाद प्रक्रिया शुरू करने में कर निर्धारण पदाधिकारी विफल रहें, जिसके फलस्वरूप 5 व्यवसायियों के विरूद्ध 22.70 करोड़ रूपये कम का मामला दायर किया गया।

(कंडिका 2.02.09 (ब) और (स))

(vi) 4 अंचलों के 7 व्यवसायियों को 1996–97 से 1999–2000 के दौरान कर प्रदत्त बिक्री और त्रुटिपूर्ण/अमान्य घोषणा प्रपत्रों पर छूट की गलत स्वीकृति के फलस्वरूप 1.29 करोड़ रूपये का कर आरोपित नहीं किया गया।

(कंडिका 2.02.10(i))

(vii) 1990 से कोई आंतरिक लेखा परीक्षा नहीं किया गया, जो आंतरिक नियंत्रण के महत्वपूर्ण भाग का अभाव दर्शाता है।

(कंडिका 2.02.12)

2.02.05 राजस्व की प्रवृत्ति

वर्ष 1996–97 से 1999–2000 के दौरान अविभाजित बिहार का एवं झारखंड राज्य के निर्माण के बाद बिहार का वर्ष 2000–01 के बजट अनुमानों एवं वास्तविकताओं की भिन्नता नीचे दी गयी है :–

(करोड़ रूपये में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक	भिन्नता	भिन्नता की प्रतिशतता
1996-97	1479.82	1496.39	(+) 16.57	(+) 1
1997-98	2000.20	1567. 64	(-) 432.56	(-) 22
1998-99	2042.00	1821.85	(-) 220.15	(-) 11
1999-2000	2280.00	2067.79	(-) 212.21	(-) 9
2000-01	1950.00	1821.47	(-) 128.53	(-) 7

उपर्युक्त तालिका यह बताता है कि बिक्री कर की वास्तविक प्राप्तियाँ वर्ष 1997–98 से 2000–01 की अवधि के दौरान बजट अनुमानों से कम है, ह्रास 7 से 22 प्रतिशत के मध्य थी।

2.02.06 व्यवसायियों का निबंधन

(i) बाजार सर्वेक्षण

कर आधार के विस्तार हेतु विभाग ने योग्य व्यवसायियों को निबंधित करने के लिए समयबद्ध एवं प्रभावी बाजार सर्वेक्षण तथा निबंधन के लिए लंबित आवेदनों का निष्पादन अप्रैल 1999 तक करने के लिए निर्देश जारी किया (मार्च 1999)।

12 वाणिज्यकर अंचलों में से 4[3] अंचलों द्वारा प्रस्तुत बाजार सर्वेक्षण की सूचना से निम्नलिखित उदघटित हुआ :–

वर्ष	वर्ष के दौरान किये गये सर्वेक्षणों की संख्या	निबंधन के लिए पाये गये व्यवसायियों की संख्या	निबंधन के लिए अनुशंसित व्यवसायियों की संख्या	सर्वेक्षण व्यवसायियों की संख्या जिन्होने निबंधन के लिए आवेदन दिया	कॉलम 4 से 5 की प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6
1998-99	186	172	172	20	12
1999-2000	120	80	80	11	14
2000-01	97	76	76	20	26

उपर्युक्त तालिका से पता चलता है कि व्यवसायी जिन्होंने निबंधन के लिए आवेदन दिया का प्रतिशतांक पूर्व से निर्धारित अवधि में निबंधन कराना जिनके लिए आवश्यक हो गया था में भिन्नता 12 से 26 के मध्य था। यह अपर्याप्त अनुवर्ती/कार्रवाई और कर आधार में वृद्धि एवं साधन एकत्र करने में शीर्ष स्तर पर आंतरिक नियंत्रण तंत्र की विफलता बताता है।

(ii) निबंधन के लिए लंबित आवेदन

बिहार वित्त अधिनियम, 1981 एवं उसके अधीन बनाये गये नियमों के साथ पठित के अन्तर्गत कोई भी व्यवसायी, जो कर का देनदार है, वस्तुओं की खरीद या बिक्री नहीं करेगा जब तक उसे मान्य निबंधन प्रमाण पत्र प्राप्त न हो। इसके लिए, व्यवसायी को कर का देनदान होने के 7 दिनों के भीतर आवेदन देना होगा। विहित प्राधिकारी उक्त आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर उसे निबंधन प्रमाण–पत्र निर्गत करेगा।

आवेदन की प्राप्ति के एक माह के भीतर निबंधन स्वीकृत करने की संहिता के प्रावधान को विभाग ने अनुदेशो (सितम्बर 1998 एवं मार्च 1999) द्वारा बार–बार दुहराया है।

12 अंचलों में से 3[4] अंचलों द्वारा प्रस्तुत निबंधन संबंधी सूचना से निम्नलिखित उदघटित हुआ। :–

---

[3] पटना दक्षिण, मुंगेर, पटना सिटी पश्चिम एवं सीवान।

[4] पटना दक्षिण, मुंगेर एवं पटना सिटी पश्चिम।

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	प्राप्त आवेदन की संख्या	कुल	स्वीकृत निबंधन की संख्या	अस्तीकृत आवेदनों की संख्या	अंतिम शेष (एक माह से अधिक लंबित)	बिलंबन की प्रतिशतता (कॉलम 4 से कॉलम 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1996–97	33	439	472	384	6	82	17
1997–98	82	375	457	291	15	151	33
1998–99	151	381	532	349	35	148	28
1999–2000	148	356	504	303	16	185	37
2000–01	185	595	780	581	9	190	24

उपर्युक्त तालिका ये बताता है कि वर्ष 1996–97 से 2000–01 के दौरान निबंधन के लिए लंबन की भिन्नता 17 प्रतिशत से 37 प्रतिशत के मध्य थी।

तथापि, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत अभिलेखों की जाँच ये यह उद्घटित हुआ कि आयुक्त कार्यालय में अंचलों/अनुश्रवण प्रकोष्ठ से न तो कोई अनुपालन प्रतिवेदन प्राप्त हुआ और न प्रतिवेदन प्राप्ति का अनुश्रवण ही किया गया। इस प्रकार, अधिनियम में संचित आंतरिक नियंत्रण और सितम्बर 1998 एवं मार्च 1999 में निर्गत निर्देश भी समय पर निबंधन प्रमाण–पत्र की स्वीकृति सुनिश्चित करने में विफल रहे।

(iii) अपर्याप्त प्रतिभूति

बिहार वित्त अधिनियम, 1981 के प्रावधानों एवं उसके तहत बनाये गये नियमों के साथ पठित, के अन्तर्गत विहित प्राधिकारी प्रत्येक निबंधित व्यवसायी से उसके द्वारा देय कर के उचित भुगतान के लिए एक प्रतिभूति प्रस्तुत करने को कहेगा। उक्त प्राधिकारी अगर किसी समय यह पाता है कि व्यवसायी द्वारा वर्ष में देय कर उसके द्वारा प्रस्तुत प्रतिभूति की राशि से ज्यादा है तो उक्त प्राधिकारी व्यवसायी को वर्ष में देय कर के समतुल्य प्रतिभूति प्रस्तुत करने के लिए निर्देश देगा।

(क) 6 अंचलों[5] के कर निर्धारण अभिलेखों की जांच से उद्घटित हुआ कि 10 व्यवसायियों, जिनके प्रतिभूति का पुनरीक्षण नहीं/कम किया गया था, ने या तो व्यापार बंद कर दिया था और उनका ठिकाना पता नहीं था या वे दिवालिया हो गये थे। इसके फलस्वरूप 6.24 करोड़ रूपये के सरकारी राजस्व की हानि हुई।

(ख) 11 अंचलों[6] में 125 व्यवसायियों की नमूना जांच से पता चला कि 94 व्यवसायियों के मामले में निबंधन के समय प्रस्तुत प्रतिभूति का पुनरीक्षण नहीं किया गया था और 31 व्यवसायियों के मामले में प्रतिभूति का कम पुनरीक्षण किया गया।

प्रतिभूति के अनुश्रवण, समीक्षा एवं पुनरीक्षण के लिए निबंधन के समय प्रस्तुत प्रतिभूति और निर्धारित कर दर्शाते हुए विभाग द्वारा न तो कोई नियंत्रण पंजी निर्दिष्ट किया गया था और न ही किसी अंचल में कोई पंजी संधारित था। कोई

5 *पटना उत्तरी, पटना सिटी पश्चिम, पटना दक्षिण, पटना पश्चिम, पटना सिटी पूर्वी, मुजफ्फरपुर।*

6 *पटना उत्तरी, पटना सिटी पूर्वी, हाजीपुर, दानापुर, पटना सिटी पश्चिम, पटना दक्षिण, पटना विशेष, पटना पश्चिम, पाटलिपुत्रा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर।*

भी नियतकालीन विवरणी/प्रतिवेदन वाणिज्यकर संयुक्त आयुक्त/वाणिज्यकर आयुक्त, बिहार, पटना को नहीं भेजा जाता था। यह अधिनियम/नियम के प्रावधानों का कड़ाई से पालन किये जाने की जाँच हेतु किसी भी आंतरिक नियंत्रण तंत्र को लागू नहीं किया जाना दर्शाता है।

2.02.07 विवरणियों का अनुश्रवण

के0बि0क0 अधिनियम, 1956 के साथ पठित बिहार वित्त अधिनियम, 1981 एवं उसके अधीन बने नियमों में यह प्रावधान है कि माह/त्रैमाह के बाद के माह के 15 तक कर भुगतान के साक्ष्य सहित बिक्री राशि को देते हुए ब्योरा नियतकालिक विवरणियों (मासिक/त्रैमासिक) को प्रस्तुत करना है। वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद 31 जुलाई तक वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करना है। कर–निर्धारण पदाधिकारी को उन विवरणियों के आधार पर कर निर्धारण अवधि की समाप्ति के बाद 4 वर्षो के भीतर कर–निर्धारण पूरा करना है।

विभाग ने शासकीय अनुदेशों द्वारा विवरणियों की प्राप्ति और स्वीकृत कर संग्रहण के अनुश्रवण को सुगम बनाने के लिए अंचलों द्वारा संधारित किये जाने हेतु दो पंजियाँ (पंजी VI और VIII) विहित की है। विहित प्राधिकारी को विवरणियों की समीक्षा करनी है और तीन दिनों के भीतर विलंब से विवरणी दाखिल करने, विलंब से स्वीकृत कर का भुगतान करने वाले व्यवसायियों के विरूद्ध और बिक्री राशि का कर निर्धारण से छूट जाने पर कार्रवाई प्रारम्भ करनी है।

तदन्तर, सितम्बर 1998 के एक शासकीय अनुदेश द्वारा स्वीकृत/निर्धारित कर के समय पर भुगतान पर नजर रखने के लिए अंचलों/अनुश्रवण कोषांग को पंजी को अद्यतन करने के लिए निर्देशित किया गया था; अनुपालन प्रतिवेदन मुख्यालय भेजा जाना था।

11 अंचलों में पंजी VI की नमूना जांच से उद्घटित हुआ कि विवरणी प्रस्तुत करने की तिथि, कार्रवाई पूरा करने की तिथि, पत्र मांग तामिल किये जाने की तिथि की कोई सूचना उपलब्ध नहीं थी। न तो कार्रवाई प्रारम्भ की तिथि की प्रविष्टि थी और न प्रविष्टि की पंजी VIII की प्रविष्टि से तिर्यक जांच की गयी थी एवं सत्यापित की गयी थी।

8 अंचलों में पंजी VIII की नमूना जांच से उद्घटित हुआ कि पंजी में की गयी प्रविष्टि का न तो कोषागार अभिलेखों की प्रविष्टि से मिलान किया गया था और न सत्यापित किया गया था।

तदन्तर 286 वार्षिक विवरणियों की नमूना जांच से उद्घटित हुआ कि 129 व्यवसायियों द्वारा प्रस्तुत 278 वार्षिक विवरणियाँ ठीक तरह से भरी नहीं गई थी।

अंचलो/प्रमंडल के अनुश्रवण कोषांग द्वारा मुख्यालय को शासकीय अनुदेशों का कोई भी अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया, शीर्ष स्तर पर अनुदेशों के परिपालन के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई।

(अ) स्वीकृत कर के विलंबित भुगतान के लिए अर्थदण्ड का नहीं लगाया जाना

बिहार वित्त अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के अंतर्गत यदि व्यवसायी नियत तिथि तक स्वीकृत कर का भुगतान करने में विफल होता है तो विहित दर पर अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा।

5 अंचलों के 11 व्यवसायियों के मामले में स्वीकृत कर के विलंबित भुगतान के लिए 27.32 करोड़ रूपये का न्यूनतम अर्थदण्ड, अधिनियम के प्रावधानों के अधीन यद्यपि आरोप्य था, नहीं/कम आरोपित किया गया। अधिनियम के अंतर्गत अर्थदण्ड के प्रावधान को लागू करने, तीन दिन के भीतर विवरणी की समीक्षा करने और कार्रवाई प्रारम्भ करने में कर–निर्धारण पदाधिकारी की विफलता के फलस्वरूप दर्थदण्ड नहीं/कम आरोपित किया गया।

2.02.08 कर निर्धारण

बिहार वित्त अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के अंतर्गत विहित प्राधिकारी द्वारा विवरणी प्राप्त होने के बाद अर्थदण्ड सहित देय कर निर्धारित एवं आरोपित करने के लिए कर–निर्धारण किया जाता है। राजकोष के राजस्व पर कुशल कर–निर्धारण विधि का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। इसलिए यह आवश्यक है कि कर–निर्धारण विधि के कुछ निर्णायक पहलुओं पर लगातार नजर रखी जाय। इसे विभाग कुछ आंतरिक नियंत्रण उपाय द्वारा करती है। उनमें से कुछ निम्न प्रकार है :–

वा0क0आ0 बिहार ने विभिन्न कर–निर्धारण पदाधिकारियों द्वारा कर निर्धारण मामलों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित प्रतिमान निश्चित की थी (मार्च 1989)।

उपायुक्त, अंचल प्रभारी	निबंधन मामले सहित न्यूनतम 15 मामले प्रतिमाह
सहायक आयुक्त, अंचल प्रभारी	निबंधन मामले सहित न्यूनतम 25 एवं अधिकतम 35 मामले प्रतिमाह
अन्य सहायक आयुक्त	न्यूनतम 35 मामले प्रतिमाह
वाणिज्यकर पदाधिकारी, अंचल प्रभारी	न्यूनतम 40 मामले प्रतिमाह
अन्य वाणिज्यकर पदाधिकारी	न्यूनतम 50 मामले प्रतिमाह

4[8] अंचलों के अभिलेखों की नमूना जांच से यह उद्घटित हुआ कि वाणिज्यकर आयुक्त द्वारा विहित प्रतिमान का विचारपूर्वक पालन नहीं किया गया। विगत 5 वर्षों के दौरान पूरा किया गया कर निर्धारण प्रतिमान के अनुसार किये जाने वाले कर निर्धारण से बहुत ही कम था, जिसके फलस्वरूप मामले अत्यधिक संख्या में लंबित थे, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :–

[8] *हाजीपुर, पटना दक्षिण, पटना सिटी पश्चिम एवं पटना उत्तरी।*

वर्ष	प्रतिमान के अनुसार पूरा किया जाने वाला कर–निर्धारण मामले की न्यूनतम संख्या	लंबित कर–निर्धारण	वर्ष के दौरान पूरा किया गया कर–निर्धारण	संख्या में कमी	ह्रास प्रतिशतता में (कॉलम 3 से 5)
1	2	3	4	5	6
1996-97	15900	14028	6826	7202	51
1997-98	13920	13987	5491	8496	61
1998-99	12720	13742	10296	3446	25
1999-2000	12540	13370	6879	6491	49
2000-01	12540	13287	7301	5986	45

इससे पता चलता है कि अनुदेशों का समुचित रूप से पालन नहीं किया गया, जबकि अनुश्रवण की व्यवस्था थी। प्रस्तुत संचिका से भी पता चलता है कि मार्च 1989 में निर्गत अनुदेश पर कोई भी अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गयी जो शीर्ष स्तर पर आंतरिक नियंत्रण तंत्र की विफलता बताता है।

(अ) आँकड़ों के अन्तर–विभागीय तिर्यक जांच का अनुश्रवण

वाणिज्यकर आयुक्त (वा0क0आ0) ने बिक्री कर अपवंचन रोकने के लिए व्यापारिक प्रतिष्ठानों द्वारा आयकर विभाग/केन्द्रीय उत्पाद विभाग और राज्य सरकार के विभागों से प्राप्त खरीद/बिक्री से संबंधित आँकड़ों/सूचना की तिर्यक जॉच उनकी विवरणी/अभिलेखों से किए जाने का निर्देश निर्गत किया (मई 1990)। यह कार्य विभाग के अन्वेषण ब्यूरों को भी सौंपा गया था (जून 1991) और उसे जॉच का मासिक प्रतिवेदन अगले माह की 10 तारीख तक वा0क0आ0, बिहार को प्रस्तुत करना था।

वा0क0आ0, बिहार के कार्यालय में लेखा परीक्षा को प्रस्तुत संचिका से पता चला कि अन्वेषण ब्यूरो ने प्राप्त आँकड़ों/सूचना की जॉच का न कोई प्रतिवेदन/विवरणी प्रस्तुत किया था और न सरकार द्वारा प्रतिवेदन/विवरणी जमा कराने के लिए कोई कदम ही उठाया गया।

तथापि लेखा परीक्षा द्वारा 4 वाणिज्यकर अंचलों[9] के 17 विनिर्माता व्यवसायियों के कर–निर्धारण अभिलेखों से आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद से प्राप्त आँकड़ो की तिर्यक जांच से उनके लेखा में भुगतान किये गये केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कम लेखापित किये जाने का पता चला, जिसके फलस्वरूप अर्थदण्ड सहित कर कम आरोपित किया गया, जैसा निम्न प्रकार है :–

(i) 4 वाणिज्यकर अंचलों मे निबंधित स्टील स्ट्रीप, कोल्ड ड्रींक्स, रोड रॉलर एवं उसके पुर्जे आदि के 7 विनिर्माता व्यवसायियों के कर निर्धारण अभिलेखों की केन्द्रीय उत्पाद विभाग में संधारित अभिलेखों के तिर्यक जांच से पता चला कि वर्ष 1995–96 से 1999–2000 (कर निर्धारण जून 1998 और अगस्त 2001 के मध्य)

9 दानापुर, पाटलिपुत्रा, पटना दक्षिण, पटना सिटी पश्चिम।

की अवधि के दौरान व्यवसायियों द्वारा भुगतान की गयी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की वास्तविक राशि 7.42 करोड़ रूपये के विरूद्ध अपने बिक्री कर विवरणी में 1.55 करोड़ रूपया दिखाया गया। इसके फलस्वरूप कर योग्य 5.87 करोड़ रूपये विक्रय राशि का छिपाव हुआ और परिणामस्वरूप अधिनियम के प्रावधान के अधीन आरोप्य 1.62 करोड़ रूपये के अर्थदण्ड सहित 2.21 करोड़ रूपये कर का अवनिर्धारण हुआ।

(ii) 2 वाणिज्यकर अंचलों (दानापुर एवं पाटलिपुत्र) में निबंधित लौह इनगोट, पी0भी0सी0 पाइप, बिस्कुट, सुगंधित केश तेल के व्यवसाय में संलग्न 4 विनिर्माता व्यवसायियों के अभिलेखों से केन्द्रीय उत्पाद विभाग से प्राप्त आँकड़े/सूचना की तिर्यक जांच से पता चला कि व्यवसायियों ने वर्ष 1997–98 और 1999–2000 के मध्य की अवधि में (कर निर्धारण अगस्त 1999 और जुलाई 2001 के मध्य) माल की बिक्री कम लेखापित कर 56.13 करोड़ रूपये के विक्रय राशि को छिपाया, जिसके फलस्वरूप उक्त अधिनियम के प्रावधान के अधीन आरोप्य 15.96 करोड़ रूपये के अर्थदण्ड सहित 21.79 करोड़ रूपये कर का अवनिर्धारण हुआ।

(ब) अन्वेषण ब्यूरो इकाई द्वारा अंतर्राज्यीय लेन–देन का अनुश्रवण

बिहार वित्त अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के अन्तर्गत जून 1991 में निर्गत एक कार्यकारी आदेश द्वारा वाणिज्यकर विभाग के अ0ब्यू0 इकाई को प्रपत्र 'सी,'एफ' और 'एच' की जॉच तथा बाजार सर्वेक्षण की प्रक्रिया बनाने का कार्य सौंपा गया था। कर अपवंचन रोकने के लिए इकाई को बड़े व्यापारिक स्थान के औचक निरीक्षण के साथ–साथ वाहनों का भी निरीक्षण करना था। आंतरिक नियंत्रण उपाय के रूप में विभाग ने अ0ब्यू0 द्वारा प्रतिमाह न्यूनतम 35 व्यापारिक स्थानों और 60 वाहनों का निरीक्षण निर्धारित किया (अगस्त 1984)। वा0क0आ0, बिहार के कार्यालय में इस पर एक प्रतिवेदन अगले माह की 10वीं/25 वीं तारीख तक प्राप्त होना था।

अन्वेषण ब्यूरो मुख्यालय द्वारा 1995–96 और 2000–01 के मध्य की अवधि के लिए प्रदत्त सूचना से पता चलता है कि 1998–99 के दौरान मात्र एक घोषणा प्रपत्र 'सी' की जांच की गयी एवं व्यवसायी के विरूद्ध कार्रवाई प्रारम्भ की गयी। तदन्तर अ0ब्यू0 ने वर्ष 1995–96 और 1999–2000 के दौरान विहित न्यूनतम प्रतिमान के विरूद्ध एक व्यापारिक स्थान एवं 33 वाहनों का निरीक्षण किया और इसलिए लक्ष्य प्राप्त करने में विफल रहे।

इसके अलावे लेखा परीक्षा द्वारा संग्रहित राज्य के बाहर से आवक मालों के संदर्भ में घोषणा प्रपत्रों 'सी,''एफ'/बीजकों की सूचना की तिर्यक जांच से कर अपवंचन का पता चला जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :–

(क) बिक्री राशि का छिपाया जाना

के0बि0क0 अधिनियम, 1956, के साथ पठित बिहार वित्त अधिनियम 1981, के अन्तर्गत प्रत्येक निबंधित व्यवसायी अपने सभी लेन देन का सही और पूर्ण विवरणी दाखिल करेगा। यदि विहित प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने का ठोस

कारण है कि व्यवसायी की कोई बिक्री राशि कर निर्धारण से छूट गयी है, तो वह, कर–निर्धारण या पुनः कर–निर्धारण की तिथि से आठ वर्षो के भीतर उसे बिक्री राशि पर व्यवसायी से प्राप्त कर का निर्धारण या पुनर्निर्धारण कर सकता है।

बिहार के 6 वाणिज्यकर अंचलों[10] के 24 व्यवसायियों के कर–निर्धारण अभिलेखों की आन्ध्र प्रदेश (31), पश्चिम बंगाल (4), तामिलनाडु (8) तथा मध्य प्रदेश (2) के 45 विनिर्माताओं/स्थानांतरण करने वाले या व्यवसायियों के अभिलेखों से तिर्यक जांच से उद्‌घटित हुआ कि 1995–96 से 2000–01 (कर निर्धारण अगस्त 1996 और जनवरी 2002 के मध्य) की अवधि में प्रपत्र सी/एफ अथवा बीजकों के आधार पर खरीदे/स्थानांतरित किए गए 14.95 करोड़ रूपये के सामानों की प्राप्ति को नहीं/कम लेखापित किया गया। इसके फलस्वरूप 3.87 करोड़ रूपये अर्थदण्ड सहित 5.29 करोड़ रूपये कर का अवनिर्धारण हुआ।

(ख) चुराये गये/अनधिकृत घोषणा प्रपत्रों के उपयोग के कारण राजस्व की हानि

केन्द्रीय बिक्री कर (बिहार) नियम, 1957 के अन्तर्गत यदि कोई घोषणा प्रपत्र गुम, नष्ट या चोरी हो जाता है, तो इस क्षति, बर्बादी या चोरी की सार्वजनिक सूचना निर्गत करना अनिवार्य है। तदुपरांत, आयुक्त अधिसूचना द्वारा उन प्रपत्रों को अधिसूचना में अंकित तिथि से अवैध घोषित कर सकता है। ऐसे घोषणा प्रपत्रों के विरूद्ध स्थानांतरण द्वारा प्राप्त की गयी वस्तुओं पर कर के अतिरिक्त छिपायी गयी बिक्री राशि पर न्यूनतम अर्थदण्ड आरोप्य कर के समतुल्य तथा अधिकतम तिगुना आरोपित होगा।

3 अंचलों (पटना सिटी पूर्व, पटना सिटी पश्चिमी एवं पटना दक्षिण) में 9 व्यवसायियों ने आंध्र प्रदेश (1), तमिलनाडु (5), पश्चिम बंगाल (2) के 8 विनिर्माताओं/हस्तानांतरण करनेवाले अथवा व्यवसायियों से वर्ष 1995–96 से 1997–98 के दौरान (कर निर्धारण सितम्बर 1996 एवं नवम्बर 1999 के मध्य) 1.43 करोड़ रूपये मूल्य के वीनियर, हल्दी, पटाखा, कागज और बिस्कुट आयुक्त द्वारा अवैध घोषित किये गये 67 प्रपत्र 'सी' एवं 2 प्रपत्र 'एफ' के विभिन्न प्रमंडलों द्वारा दी गयी थी अथवा व्यवसायियों को निर्गत नहीं किया गया था, के विरूद्ध प्राप्त किया और राज्य के व्यवसायियों द्वारा सामानों को अपने लेखा में लेखापित नहीं किया गया। व्यवसायियों पर 40.04 लाख रूपये के अर्थदण्ड सहित 54.73 लाख रूपये कर आरोप्य था।

वर्ष 1995–96 से 2000–01 के दौरान प्रपत्र सी/एफ/एच की अपर्याप्त जांच एवं बड़े व्यापारिक स्थान/वाहनों का अपर्याप्त निरीक्षण अ0ब्यू0 के संदर्भ में आंतरिक नियंत्रण उपाय की विफलता दर्शाता है। वा0क0आ0 बिहार के कार्यालय में लेखा परीक्षा को प्रस्तुत अभिलेखों/संचिका की नमूना जांच से उद्‌घटित हुआ कि अ0ब्यू0 इकाई द्वारा निरीक्षण के लिए विहित प्रतिमान में ह्रास के लिए कोई अनुवर्ती कार्रवाई का नहीं किया जाना शीर्ष स्तर पर अनुश्रवण के अभाव को दर्शाता है।

---

10 दानापुर, पटना सिटी पूर्वी, पटना सिटी पश्चिमी, पटना उत्तर, पटना दक्षिण और पाटलिपुत्र।

2.02.09 वसूली का अनुश्रवण

(अ) बकाये राजस्व की प्रवृति

(करोड़ रूपये में)

1995–96	1996–97	1997–98	1998–99	1999–2000	2000–01
379.68	अनुपलब्ध	908.57	1173.57	1377.74	691.79[#]

1995–96 में 379.68 करोड़ रूपये का बकाया राजस्व 1999–2000 में बढ़कर 1377.74 करोड़ रूपया हो गया, जो 363 प्रतिशत की वृद्धि संविहित करता है।

(ब) निर्धारित कर का भुगतान नहीं करने के लिए अर्थदण्ड नहीं/कम लगाया जाना

बिहार वित्त अधिनियम, 1981 की धारा 25(3) के प्रावधान के अंतर्गत, यदि कोई व्यवसायी कर की किसी राशि का भुगतान करने में विफल होता है, तो विहित प्राधिकारी व्यवसायी को उस विफलता के लिए विहित दर पर जो नियत तिथि के बाद प्रत्येक प्रथम तीन महीने या उसकी आंशिक अवधि के लिए कर की राशि का अधिकतम 5 प्रतिशत और प्रत्येक अनुवर्ती माह या उसकी आंशिक अवधि के लिए 10 प्रतिशत से अधिक नहीं, अर्थदण्ड देने के लिए निर्देश देगा। सितम्बर 1998 में वा0क0आ0, बिहार ने निर्देश निर्गत किया कि सभी प्रभारी कर–निर्धारण पदाधिकारी को उन व्यवसायियों के विरूद्ध जो विफल रहे हैं, कार्रवाई करनी चाहिए और उस पर 15 नवम्बर 1998 तक अनुपालन प्रतिवेदन की मांग की।

वा0क0आ0, बिहार के कार्यालय के अभिलेखों से उद्‌घटित हुआ कि निर्धारित कर का भुगतान नहीं किए जाने पर अर्थदण्ड आरोपित नहीं किए जाने के मामलों के अनुश्रवण के लिए कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गयी।

5 अंचलों[11] में 12 व्यवसायियों के कर–निर्धारण अभिलेखों की नमूना जॉच से उद्‌घटित हुआ कि व्यवसायी 22.62 करोड़ रूपये के निर्धारित कर (1990–91 और 1999–2000 के मध्य) का भुगतान करने में विफल रहे, किन्तु, कोई अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया जिसके फलस्वरूप 46.08 करोड़ रूपये राशि का अर्थदण्ड आरोपित नहीं हुआ।

(स) प्रमाण पत्र कार्यवाही स्थापित करना

वर्ष 1995–96 से 2000–01 की अवधि के दौरान राजस्व बकाये और प्रमाणित बकाया की स्थिति निम्नवत थी :–

वर्ष 1999–2000 तक के ऑकड़े संयुक्त बिहार के हैं तथा वर्ष 2000–01 के लिए झारखंड को छोड़कर।

11 हाजीपुर, पटना उत्तरी, पटना विशेष, पटना सिटी पश्चिम, पटना सिटी पूर्व।

(करोड़ रूपये में)

कब तक	बकाया		प्रमाणित मामले	कुल बकाया से प्रमाणित मामले के प्रतिशतता
	कुल	5 वर्ष से अधिक पुराना		
31.3.96	379.68	12.38	51.71	13.62
31.3.97	अप्राप्त	अप्राप्त	51.10	-
31.3.98	908.57	83.60	68.60	7.55
31.3.99	1173.57	221.00	158.54	13.51
31.3.2000	1377.74	664.20	172.76	12.54
31.3.01	691.79	अप्राप्त	172.76	24.97

यह देखा गया कि मामलों की संख्या एवं अवधि, जिससे प्रमाणित मामलों संबंधित थे, सुनिश्चित करने हेतु विशिष्ट अभिलेख/संचिका का संधारण नहीं किया गया था। फिर भी, विभाग ने दीर्घ लंबित एवं उच्चधन राशि में निहित प्रमाणित राशि की वसूली और बकाये पर नया मामला दर्ज करने के लिए कार्यकारी निर्देश जारी किया (मार्च 1999)। 15 जुलाई 1999 तक अंचलवार प्रगति प्रतिवेदन मुख्यालय को भेजा जाना था, किन्तु, वा0क0आ0, कार्यालय के अभिलेखों में न कोई अनुपालन प्रतिवेदन और न ही की गई अनुवर्ती कार्रवाई पायी गई। वस्तुतः, निर्गत कार्यकारी निर्देश के अनुपालन की जांच के साथ–साथ उचित राशि के लिए प्रमाण पत्र कार्रवाई स्थापित किये जाने की जांच हेतु कोई आंतरिक नियंत्रण तंत्र नहीं था।

इस संदर्भ में की गई नमूना जॉच से निम्नलिखित उद्‌घटित हुआ :–

प्रमाण पत्र कार्यवाही कम स्थापित किया जाना

बिहार वित्त अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के अंतर्गत यदि अर्थदण्ड सहित कर की कोई राशि सूचना में निर्दिष्ट तिथि तक अभुगतेय रहती है, तो वसूली के किसी अन्य तरीके के पक्षपात के बिना, बकाये भू–राजस्व की वसूली की रीति से उसकी वसूली की जानी है। व्यवसायी के विरूद्ध प्रमाण पत्र प्रारम्भ करने से पूर्व निर्धारित कर की अभुगतेय राशि पर अर्थदण्ड, जो प्रत्येक प्रथम तीन माह या उसकी आंशिक अवधि के लिए कर की राशि का अधिकतम 5 प्रतिशत और प्रत्येक अनुवर्ती माह या उसकी आंशिक अवधि के लिए 10 प्रतिशत से अधिक नहीं, भी आरोप्य है।

5 अंचलों[12] के 5 व्यवसायियों के मामले में, (1985–86 से 1996–97 तक के कर निर्धारण अवधि के लिए) 34.07 करोड़ रूपये (अर्थदण्ड सहित) की वास्तविक राशि के बदले 11.37 करोड़ रूपये कर निर्धारण मार्च 1995 और दिसम्बर 1998 के मध्य की गई जिसके लिए प्रमाण–पत्र कार्रवाही शुरू की गई (जून 1999 तथा अप्रैल 2002 के मध्य)। इसके फलस्वरूप 22.70 करोड़ रूपये का कम प्रमाण पत्र कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

12 मुजफ्फरपुर, पटना दक्षिण, पटना विशेष, पटना उत्तरी एवं पटना पश्चिम।

2.02.10 निगरानी एवं अनुश्रवण कोषांग का कार्य

वा0क0आ0 कार्यालय में एक निगरानी एवं अनुश्रवण कोषांग है। फरवरी 1986 एवं मार्च 1997 में निर्गत शासकीय अनुदेश द्वारा विभाग ने कोषांग के कार्यो के लिए मार्ग दर्शन निर्धारित की जिसमें अन्य के अलावे प्रति माह 20 कर–निर्धारण अभिलेखों की जांच करना भी सन्निहित है। अभिलेखों का चुनाव सकल बिक्री राशि के आधार पर किया जाना था। इसके अतिरिक्त, उपायुक्त (उ आ), निगरानी एवं अनुश्रवण द्वारा निरीक्षण पंजी, चेक पंजी, विवरणी और मांगपत्र के निर्गमन की जांच किया जाना था। उपायुक्त के निबंधन स्वीकृत कर/निर्धारित कर के विलंबित भुगतान पर अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किये जाने एवं निर्धारित कर की वसूली का अनुपालन प्रतिवेदन भेजना था। प्रमंडल स्तर पर संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) को लंबित अनुश्रवण प्रतिवेदन के अनुपालन की स्थिति की समीक्षा त्रैमासिक आधार पर करना था और उसे वा.क.आ., बिहार को भेजना था।

वा0क0आ0, बिहार के कार्यालय में प्रस्तुत सूचनानुसार, राज्य के सभी प्रमंडलों द्वारा जांच की गई कर निर्धारण अभिलेखों की स्थिति से उद्घटित हुआ कि 1995–96 से 2000–01 के दौरान अभिलेखों की जांच में कमी की प्रतिशतता में भिन्नता 23 और 89 के मध्य थी, जैसा तालिका में दिखाया गया है :–

वर्ष	वर्ष के दौरान जांच हेतु लंबित कर–निर्धारण अभिलेखों की संख्या	वर्ष के दौरान जांच की गई कर–निर्धारण अभिलेखों की संख्या	ह्रास की प्रतिशतता
1996-97	2400	1850	23
1997-98	2400	1800	25
1998-99	2400	750	69
1999-2000	2400	570	76
2000-01	2400	275	89

वा0क0आ0, बिहार के कार्यालय में लेखा परीक्षा को प्रस्तुत निगरानी एवं अनुश्रवण कोषांग के कार्य से संबंधित संचिका से निम्नलिखित उद्घटित हुआ :–

1. 1995–96 से 2000–01 के दौरान प्राप्त होने वाले 216 मासिक एवं 72 त्रैमासिक विवरणियों में से सिर्फ 54 मासिक एवं 11 त्रैमासिक प्रतिवेदन ही कार्यालय में प्राप्त हुए।

2. संयुक्त आयुक्त द्वारा कोई भी समीक्षा प्रतिवेदन बनाया जाना/आयुक्त को प्रस्तुत किया जाना नहीं पाया गया।

उपर्युक्त तथ्य यह दर्शाती है कि शीर्ष स्तर पर शासकीय निर्देशों द्वारा स्थापित नियंत्रण का मूल्यांकण नहीं किया गया, जिससे उन निर्देशों के निर्गमन का उद्देश्य पराजित हुआ।

(i) कर प्रदत्त बिक्री/अमान्य/त्रुटिपूर्ण घोषणा प्रपत्रों पर गलत छूट

बिहार वित्त अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के अंतर्गत निर्गत अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार किन्हीं वस्तुओं के संबंध यह निर्दिष्ट करती है कि यदि राज्य में बिक्री के प्रथम बिन्दु पर बिक्री कर आरोप्य है तो उन वस्तुओं की अनुवर्ती बिक्री पर कर आरोप्य नहीं होगा। फिर भी, अनुवर्ती बिक्री करनेवाले व्यवसायी को कर–निर्धारण पदाधिकारी के समक्ष कैश मेमो, बिल या बीजक की मूल प्रति और उतनी ही राशि के लिए पूर्ण एवं सही घोषणा प्रपत्र IXसी की मूल प्रति दाखिल करना होगा। तदन्तर, अमान्य घोषित/द्वितीय प्रति/अपूर्ण घोषणा प्रपत्र अस्वीकृत किए जाने योग्य है।

4 अंचलों[13] के 7 व्यवसायियों के मामले में 1996–97 से 1999–2000 के मध्य (कर निर्धारण नवम्बर 1998 और जुलाई 2001 के मध्य) घोषणा प्रपत्रों की द्वितीय प्रति/अधकट्टी/कम मूल्य लेन –देन का प्रस्तुत किये जाने पर 9.38 करोड़ रूपये की छूट स्वीकृत की गई। इसके फलस्वरूप 1.29 करोड़ रूपये का कम कर आरोपित किया गया।

(ii) केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अंतर्गत अवनिर्धारण

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 तथा उसके अधीन बने नियमों के अंतर्गत यदि व्यवसायी वस्तुओं के शाखा स्थानांतरण पर कर से छूट का दावा करता है तो वह अपने निबंधन प्रमाण–पत्र में व्यापारिक स्थान को घोषित करेगा। अधिनियम/नियम के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने पर छूट का दावा अमान्य किया जा सकता है और घोषित वस्तुओं के मामले में कर के दुगुने दर पर एवं अन्य मामलों में 10 प्रतिशत या राज्य में लागू दर पर जो अधिक हो, कर आरोपित होगा।

2 अंचलों (पटना विशेष एवं पटना उत्तरी) में 6 व्यवसायियों द्वारा वर्ष 1995–96 से 1999–2000 के दौरान (कर निर्धारण अक्टूबर 1996 एवं मार्च 2002 के मध्य) अपने व्यापारिक स्थान, जो उनके निबंधन प्रमाण पत्र से आच्छादित नहीं थे, को किये गये 3.78 करोड़ रूपये मूल्य के पी0भी0सी0 पाईप, दवा, मोटर के पुर्जे के स्टाक स्थानांतरण पर छूट प्रदान की गयी। इस प्रकार, इन मामलों में राज्य से दूसरे राज्य में वस्तुओं का संचालन स्थानांतरण के कारण नहीं था, बल्कि करारोप्य अंतर्राज्यीय बिक्री थी। इकाई के निबंधन प्रमाण पत्र से घोषणा प्रपत्रों की तिर्यक जांच एवं अनुश्रवण इकाई द्वारा मामले का अनुश्रवण करने में विभाग की विफलता के फलस्वरूप 37.75 लाख रूपये कर का कम निर्धारण हुआ।

---

13 *औरंगाबाद, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर एवं पटना विशेष।*

(iii) छूट की अनियमित स्वीकृति

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 तथा बिहार वित्त अधिनियम 1981 और उनके अधीन बने नियमों के अंतर्गत भारतीय सीमा के बाहर निर्यात के क्रम में किये गये वस्तुओं के क्रय या विक्रय पर कर आरोप्य नहीं है। मार्च 1986 एवं अगस्त 1991 में निर्गत सरकार के आदेशों के अनुसार, नेपाल को निर्यात के क्रम में की गई बिक्री पर कर से छूट के लिए लेन–देन अन्य साक्ष्यों के अलावा भारतीय सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा प्रदत्त निर्यात प्रपत्रों द्वारा समर्थित होना चाहिए।

लेखा परीक्षा के दौरान 4[14] वाणिज्यकर अंचलों में 11 व्यवसायियों के मामलों में यह देखा गया कि वर्ष 1994–95 और 1999–2000 के मध्य (कर–निर्धारण अगस्त 1998 और जून 2001 के मध्य) में 205.45 करोड़ रूपये मूल्य के वस्तुओं की बिक्री पर कर से छूट दी गई यद्यपि ये विहित प्रलेख (कागजी लिखित) साक्ष्यों जैसे निर्यात विपत्र द्वारा समर्थित नहीं थी। कर–निर्धारण पदाधिकारी द्वारा आवश्यकता का पालन नहीं किए जाने के फलस्वरूप 26.30 करोड़ रूपये (अतिरिक्त कर एवं अधिभार सहित) के कर का अवनिर्धारण हुआ।

2.02.11 छूट की गलत स्वीकृति

बिहार वित्त (संशोधन) अधिनियम, 1989 द्वारा यथा संशोधित एवं 3 मई 1989 से प्रभावी बिहार वित्त अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के अंतर्गत, जहाँ कोई व्यवसायी सकल बिक्री राशि के किसी भाग पर कर की देयता से इस आधार पर छूट का दावा करता है कि उसने वस्तुओं का स्थानांतरण किसी अन्य व्यवसायी या अपनी शाखा को बिक्री के उद्देश्य से किया है तो ऐसे दावे को प्रमाणित करने का दायित्व व्यवसायी पर होगा और उसके लिए उसे विहित तरीके से और विहित प्रपत्र में एक घोषणा पत्र देना होगा। विधान मंडल द्वारा कानून बनाये जाने के 11 वर्ष के बाद विभाग ने इस उद्देश्य के लिए फरवरी 2000 में एक प्रपत्र IXडी निर्धारित किया। इस नियंत्रण तंत्र के अभाव में कर–निर्धारण पदाधिकारी राज्यान्तर्गत स्थानांतरण के दावे की जॉच प्रस्तुत ब्यौरा से उचित तरीके से नहीं की जा सकी।

केन्द्रीय अंचल, कोलकाता में पेट्रोलियम प्रोडक्ट के विनिर्माण एवं बिक्री में संलग्न एक व्यवसायी (भारतीय तेल निगम) द्वारा वर्ष 1991–92, 1992–93 और 1994–95 (पुनः कर निर्धारण मार्च 1997 एवं दिसम्बर 2000) के दौरान मेसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (हि0पे0का0नि0) और भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (भा0पे0का0नि0) को किये गये 362.51 करोड़ रूपये मूल्य के मोटर स्पीरिट एवं डीजल के स्थानांतरण पर छूट दी गई। इन वर्षो के लिए अंतरिती व्यवसायियों के अभिलेखों की तिर्यक जांच से यह पता चला कि अभिलेख पर, यह बताने के लिए कि उन्होंने माल प्राप्त किया था, कुछ नहीं था। इस प्रकार समय पर उचित प्रपत्र निर्धारित करने में विभाग की विफलता तिर्यक जांच करने में उनकी विफलता जबकि तेल कम्पनियों उनके क्षेत्राधिकार मे थे, के फलस्वरूप 47.10 करोड़ रूपये कर की गलत छूट दी गयी। भारत के

---

14 *केन्द्रीय अंचल, कोलकाता, मुजफ्फरपुर, पटना विशेष एवं पटना सिटी पश्चिमी।*

नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का मार्च 2001 को अन्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन में भी इस तरह की अनियमितता का वर्णन है।

2.02.12 आंतरिक लेखा परीक्षा

शासन पद्धति में विभिन्न आंतरिक नियंत्रण के मूल्यांकण एवं उसकी कमी को चिन्हित करने के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा एक प्रभावी तंत्र माना गया है। वित्त (लेखा परीक्षा) विभाग, वित्त (वाणिज्यकर) विभाग सहित राज्य सरकार के सभी विभागों के आंतरिक लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करता है। मई 1960 में निर्गत आदेशानुसार आंतरिक लेखा परीक्षा दल को कर निर्धारण आदेशों माँग–पत्र के निर्गमन, संग्रहित कर की राशि, कोषागार अभिलेख से राशि के जमा होने आदि के जॉच सहित सभी कर–निर्धारणों की शत–प्रतिशत लेखा परीक्षा करनी है।

वा0क0 आयुक्त, बिहार के कार्यालय में लेखा परीक्षा को उपलब्ध की गई सूचना से यह उद्घटित हुआ कि 1990 से कोई आंतरिक लेखा परीक्षा नहीं की गई, जो यह दर्शाता है कि आंतरिक नियंत्रण का एक बहुत ही महत्वपर्ण अंग का उपयोग नहीं किया गया।

इसे बताये जाने पर (जुलाई 2002), विभाग ने कहा (अगस्त 2002) कि संबंधित वा0क0सं0आ0 एवं अंचल प्रभारी को आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देश दिया जा रहा है।

2.02.13 निष्कर्ष

विभाग आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया निर्धारिण करने या विद्यमान नियंत्रण प्रक्रिया को प्रभावशाली ढंग से लागू करने के लिए प्रभावी एवं अर्थपूर्ण कार्रवाई करने में विफल रहा, जिससे बड़े पैमाने पर राजस्व का रिसाव हुआ।

अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त प्रतिभूति के अनुश्रवण के लिए आवश्यक अभिलेख सहित अभिलेखों के उचित संधारण द्वारा आंतरिक नियंत्रण को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। विभाग की निगरानी एवं अनुश्रवण इकाई द्वारा कर–निर्धारण अभिलेखों की जांच के मानदण्ड का पुनरीक्षण और तुरंत आंतरिक लेखा परीक्षा की स्थापना किए जाने की आवश्यकता है। विभिन्न घोषणा प्रपत्रों के अधीन लेन–देन की तिर्यक जांच की पद्धति को यथास्थान रखने की आवश्यकता है।

उपर्युक्त निष्कर्ष सरकार को बताये गये (अगस्त 2002); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2002)।

2.03 कर भुगतान आस्थगन का गलत उपभोग किया जाना

बिहार बिक्री कर पूरक (कर आस्थगन) नियम, 1990 के अंतर्गत कर भुगतान आस्थगन के लिए योग्य औद्योगिक इकाई वाणिज्य–कर विभाग से नियम में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त करेगी। आस्थगित कर के

किस्तों का भुगतान नियत तिथि पर नहीं किये जाने के मामले में 2 प्रतिशत की दर से ब्याज आरोप्य है।

पटना विशेष अंचल में, एक पोर्टलैंड स्लैग के विनिर्माता को तदर्थ आधार पर मात्र 2 माह के लिए योग्यता प्रमाण पत्र प्रदान की गयी और उस अवधि के दौरान व्यवसायी को आई0एस0आई0 मार्क का प्रमाण पत्र प्राप्त करना था। व्यवसायी द्वारा उक्त प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं करने के बावजूद, मई 1995 से 8 वर्षो तक 32.49 लाख रूपये के कर आस्थगन की सुविधा की अनियमित छूट प्रदान की गयी। तदन्तर, तीन अंचलों (पटना दक्षिण, पटना सिटी पश्चिमी एवं हाजीपुर) के 3 व्यवसायियों द्वारा 2.13 करोड़ रूपये आस्थगित कर के किस्तों का भुगतान निश्चित तिथि या उससे पहले करने में चूक की गई। विलंब की अवधि 1 से 3 वर्षो के मध्य थी जिसपर 2.13 करोड़ रूपये के आस्थगित कर की राशि आरोप्य ब्याज के अतिरिक्त 1.70 करोड़ रूपये संगणित की गई।
इसे बताये जाने पर (नवम्बर 2001 और जुलाई 2002) विभाग ने कहा (अगस्त 2002) कि संबंधित अंचलों को वसूली के लिए कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2002)।

मामले सरकार को प्रतिवेदित किये गये (अगस्त 2002) उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2002)।

2.04 बिक्री राशि का छिपाया जाना

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के साथ पठित बिहार वित्त अधिनियम, 1981 के अंतर्गत यदि विहित प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने का ठोस कारण है कि व्यवसायी ने बिक्री राशि के ब्यौरे को जानबूझकर छिपाया, छोड़ा या प्रकट नहीं किया है अथवा ऐसी बिक्री राशि के लिए गलत विवरण दिया है जिसके कारण उसके द्वारा वास्तविक राशि से कम की विवरणी दाखिल की गयी है, तो उक्त प्राधिकारी को वैसी बिक्री राशि पर व्यवसायी द्वारा देय कर की राशि का निर्धारण या पुनर्निर्धारण करना है तथा निर्धारित किये गये कर के अतिरिक्त, छिपायी गयी बिक्री राशि पर, दंडस्वरूप कर का अधिक तीन गुना, किन्तु कम से कम कर की समतुल्य राशि भुगतान करने के लिए व्यवसायी को निर्देश देना है।

4 अंचलों में कर निर्धारण अभिलेखों (सितम्बर 1998 एवं दिसम्बर 2000 के मध्य कर निर्धारित) एवं घोषणा प्रपत्रों (IXसी) रोड परमिट, व्यापार लेखा आदि से यह देखा गया (दिसम्बर 1999 एवं जून 2001 के मध्य) कि 9 व्यवसायियों द्वारा 1996–97 एवं 1999–2000 के मध्य के वर्षो के दौरान घोषणा प्रपत्रों पर खरीदे/बेचे गये मालों के लिए 28.69 करोड़ रूपये की बिक्री राशि को छिपाया गया जिससे विभाग अनभिज्ञ रहा। खरीद/बिक्री के छिपाव को रोकने में विभाग की विफलता के कारण 4.26 करोड़ रूपये कर (अतिरिक्त कर, अधिभार एवं न्यूनतम आरोप्य अर्थदण्ड सहित) का अवनिर्धारण हुआ, जैसा कि दिया गया है :–

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (फरवरी 2002); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2002)।

2.08 अधिक कर संग्रहण के लिए अर्थदण्ड का नहीं लगाया जाना

बिहार वित्त अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के अंतर्गत कोई भी निबंधित व्यवसायी किसी भी व्यक्ति से वस्तुओं की बिक्री पर, उक्त अधिनियम के अधीन कर दायित्व से अधिक कर संग्रहण नहीं करेगा। अधिनियम के प्रावधान का किसी प्रकार उल्लंघन करने पर विहित प्राधिकारी ऐसी संग्रहित कर की राशि के दुगुना के बराबर की राशि, अर्थदण्ड के रूप में, देने के लिए व्यवसायी को निर्देश देगा।

विशेष अंचल, पटना में देखा गया (मार्च 2001) कि एक व्यवसायी ने 1996–97 के दौरान 10.57 लाख रूपये कर की वसूली किये जाने की विवरणी दाखिल की और उसके अनुसार कर–निर्धारण किया गया (सितम्बर 1998)। परन्तु व्यवसायी के लेखा परीक्षित वार्षिक लेखा के अवलोकन से उद्घटित हुआ कि वास्तव में उसने 14.78 लाख रूपये की वसूली की थी। इस प्रकार व्यवसायी ने कर दायित्व से 4.21 लाख रूपये के अधिक कर का संग्रहण किया और 8.42 लाख रूपये के अर्थदण्ड का देनदार था, जिसे फिर भी आरोपित नहीं किया गया।

इन्हें बताये जाने पर (मार्च 2001) विभाग ने कहा (मार्च 2001) कि मामले की जॉच की जायेगी। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2002)।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2002); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2002)।

अध्याय 3: राज्य उत्पाद

3.01 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 2001–02 के दौरान की गई लेखा परीक्षा के क्रम में उत्पाद कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच से 1868 मामलों में 48.51 करोड़ रूपये की राशि के राजस्व अवनिर्धारण एवं हानि का पता चला, जो सामान्यतः निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं :–

(करोड़ रूपये में)

क्रमांक	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि
1.	उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती नहीं होना/देर से होना	383	15.62
2.	अनुज्ञा शुल्क वसूल नहीं होना	132	0.39
3.	विदेशी शराब/विकृत सुषव सहित शराब के अपव्यय से राजस्व की हानि	20	0.32
4.	अन्य मामले	1333	32.18
	कुल	**1868**	**48.51**

वर्ष 2001–02 के दौरान संबंधित विभाग ने 414 मामलों में अंतर्ग्रस्त 1.40 करोड़ रूपये के अवनिर्धारण आदि को स्वीकार किया जिनमें 0.43 करोड़ रूपये से अंतर्ग्रस्त 13 मामले वर्ष 2001–02 तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षो की लेखा परीक्षा में प्रकाश में आये।

दृष्टान्त स्वरूप कुछ मामले, जिनमें 23.96 करोड़ रूपये का कर प्रभाव अंतर्ग्रस्त है, अनुवर्ती कंडिकाओं में दिये गये हैं :–

3.02 उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती नहीं होने के कारण राजस्व की हानि

बिहार उत्पाद अधिनियम, 1915 तथा उसके अन्तर्गत बने नियमों के अधीन देशी शराब, विदेशी शराब तथा मसालेदार देशी शराब की खुदरा बिक्री हेतु उत्पाद दुकानों की अनुज्ञप्ति समाहर्त्ता द्वारा निर्धारित मूल्य पर निलामी के माध्यम से वार्षिक रूप से बंदोवस्त की जाती है। जब किसी मामले में नियत अपसेट/रक्षित शुल्क प्राप्त न हो तो समाहर्त्ता[1] स्वविवेक से कम शुल्क स्वीकार कर सकते है बशर्ते उत्पाद आयुक्त द्वारा इसकी अनुमति दे दी जाय। विभाग ने सभी समाहर्त्ताओं/उपायुक्तों को अबंदोवस्त उत्पाद दुकानों को विभागीय स्तर पर संचालित करने का निर्देश भी जारी किया (जून 1995)।

19 उत्पाद जिलों[2] में, 173 देशी शराब, 22 भारत निर्मित विदेशी शराब (भा0नि0वि0श0) तथा 162 मसालेदार देशी शराब की दुकाने वर्ष 1998–1999 तथा 2000–01 के दौरान अबंदोवस्त रहीं। दुकानों को न ही रक्षित शुल्क से कम पर बंदोवस्त करने का कोई प्रयास किया गया और न ही विभागीय स्तर पर चलाने का। इसके फलस्वरूप अनुज्ञा शुल्क, उत्पाद शुल्क के रूप में 15.36 करोड़ रूपये के उत्पाद राजस्व की हानि हुई।

इन्हें बताए जाने पर (मार्च 2001 और फरवरी 2002 के मध्य) विभाग ने कहा (मार्च 2001 और फरवरी 2002 के मध्य) कि सारे प्रयत्नों के बावजूद डाककर्त्ताओं के अभाव में दुकाने बंदोवस्त नहीं हो सकी। उत्पाद अधीक्षक, नालंदा ने बताया (जुलाई 2001) कि उत्पाद आयुक्त के सचिव को दुकान को विभाग द्वारा चलाने के संबंध में निर्देश देने का अनुरोध किया गया लेकिन कोई निर्देश नहीं मिला। विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि डाककर्त्ताओं के अभाव में दुकानों को विभाग द्वारा चलाने या रक्षित शुल्क से कम पर उन्हें बंदोवस्त करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त समाहर्त्ता/उपायुक्त दुकान को विभाग द्वारा चलाने के लिए अधिकृत थे ऐसा करने के लिए उनको किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं थी।

मामले सरकार को प्रतिवेदित किये गये (मई 2002), उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (नवम्बर 2002)।

3.03 प्रशासनिक शुल्क का नहीं/कम उद्ग्रहण होना

बिहार छोआ नियंत्रण (संशोधन एवं वैधीकरण) अधिनियम, 1999 के अन्तर्गत बिहार राज्य के अधीन आसवन गृहों को निर्गत किये गये छोआ पर जिनमें शर्करा

---

1 *उत्पाद अधीक्षक द्वारा उत्पाद अधिनियम के तहत् सौंपी गयी समाहर्ता के शक्ति का निर्वाह किया जाता है।*

2 *भागलपुर सह बांका, बेतिया, गया, गोपालगंज, जहानाबाद, कटिहार, मधेपुरा, मधुबनी, मोतिहारी (पू0 चम्पारण), मुंगेर सह जमुई सह लखीसराय सह शेखपुरा, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, पटना, पूर्णियाँ, रोहतास सह कैमूर, सारण, सिवानऔर वैशाली।*

अपचायक 37 प्रतिशत तक हो 10 रू0 प्रति क्विंटल की दर से तथा छोआ जिनमें शर्करा अपचायक 37 प्रतिशत से अधिक हो 15 रू0 प्रति क्विंटल की दर से 22 दिसम्बर 1995 के प्रभाव से प्रशासनिक शुल्क लगाने का प्रावधान है।

5 उत्पाद जिलों[3] के अभिलेखों के नमूना जांच से पता चला कि 1995–96 से 1999–2000 के दौरान 59.30 लाख क्विंटल छोआ बिहार के 6 आसवन गृहों[4] को वर्ष 1995–96 (22 दिसम्बर 1995 से) से 1999–2000 के दौरान बेचा गया किंतु 8.38 करोड़ रूपये प्रशासनिक शुल्क या तो नहीं वसूल किया गया या कम वसूल किया गया।

इन्हें बताये जाने पर (जून 2001 तथा जनवरी 2002 के मध्य) 2 उत्पाद अधिकारी (बेतिया तथा सीतामढ़ी) ने कहा (नवम्बर 2001 तथा जनवरी 2002) कि आसवन गृहों को राशि जमा करने का निर्देश दिया गया है। उसके आगे जबाब नहीं प्राप्त हुआ है (नवम्बर 2002)।

मामले सरकार को प्रतिवेदित किये गये (अप्रैल 2002); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (नवम्बर 2002)।

3.04 देशी शराब की अधिक उठाव पर अतिरिक्त राशि की वसूली नहीं होना

वि0उ0 अधिनियम, 1915 तथा उसके अन्तर्गत बने नियमों के अधीन बने नियमों के अन्तर्गत खुदरा अनुज्ञप्तिधारियों को किसी महीने में उस माह के लिए अनुमत्य न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा (न्यू प्र0मा0) के अतिरिक्त 30 प्रतिशत से अधिक मात्रा की शराब के उठाव की अनुमति 15 रूपये प्रति लंदन प्रूफ लीटर (एल0पी0एल0) की निर्धारित दर पर अतिरिक्त भुगतान करने पर दी जायगी।

4 उत्पाद जिलों[5] में 84 खुदरा अनुज्ञप्तिधारियों को वर्ष 1999–2000 एवं 2000–01 के दौरान विभिन्न महीनों में 14.46 लाख रूपये अतिरिक्त राशि की वसूली किए बगैर अनुमान्य न्यू0 प्र0 मा0 के अतिरिक्त 30 प्रतिशत से अधिक 96388.70 एल0पी0एल0 देशी शराब के उठाव की अनुमति दी गई।

इसे बताये जाने पर (मई 2001 तथा जनवरी 2002) विभाग ने कहा कि बकाया वसूल कर लिया जायगा। इससे आगे जबाब प्राप्त नहीं हुआ (मई 2003)।

मामले सरकार को प्रतिवेदित किये गये (मई 2002), उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2002)।

---

3 *1. पूर्वी चंपारण, मोतिहारी, 2. पश्चिमी चंपारण, बेतिया 3. गोपालगंज, 4. समस्तीपुर तथा 5. सीतामढ़ी।*

4 *2. एस0के0जी0 डिस्टीलरी लिमिडेट, लौरिया, 2. एन0एस0 डिस्टीलरी, नरकटियागंज, 3. यू0बी0 डिस्टीलरी, मीरगंज, 4. मैकडोवेल कम्पनी लिमिटेड, हाथीदह, 5. एस0सी0आई0 इंडिया लिमिटेड, बाँका तथा 6. रीगा डिस्टीलरी, रीगा।*

5 *समस्तीपुर, शिवहर, रोहतास एवं भभुआ।*

3.05 शुल्क के अंतर की राशि का नहीं वसूला जाना

सरकार ने एक अधिसूचना (अगस्त 2000) के द्वारा भा0नि0वि0श0 के नियमित ब्रांड पर शुल्क के दर को 10 अगस्त 2000 के प्रभाव से संशोधित कर 55 रू0 से 100 रू0 प्रति एल0पी0एल0 कर दिया। किन्तु अधिसूचना 17 अगस्त 2000 को सभी समाहर्त्ताओं/उत्पाद –उपायुक्तों को परिचालित किया गया।

उत्पाद–अधीक्षक, मेसर्स यू0बी0 डिस्टीलरीज लिमिटेड, मीरगंज, (गोपालगंज) के अभिलेखों के नमूना जांच से पता चला (सितम्बर 2001) कि 16726.5 एल0पी0एल0 भा0नि0वि0श0 की आपूर्ति 17 अगस्त 2000 को की गई जिसके शुल्क संशोधित दर 100 रू0 प्रति एल0पी0एल0 के बदले 55 रू0 प्रति एल0पी0एल0 वसूली गई। परिणामस्वरूप 7.53 लाख रूपये की राशि की शुल्क कम वसूल की गई।

इसे बताये जाने पर (सितम्बर 2001) संबंधित उत्पाद अधीक्षक ने कहा (सितम्बर 2001) कि बढ़ी हुई राशि को जमा करने हेतु आसवनगृहों को निर्देश दिया जायेगा। इस आगे जबाब प्राप्त नहीं हुआ (नवम्बर 2002)

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2002); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (नवम्बर 2002)।

अध्याय 4: वाहनों पर कर

4.01. लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 2001–2002 की अवधि में परिवहन कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जाँच से 6287 मामलों में 11.25 करोड़ रूपये की राशि के मोटर वाहन कर, शुल्क, अर्थदण्ड , जुर्माना आदि के नहीं/कम लगाये जाने का पता चला जो सामान्यतः निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं :–

(करोड़ रूपये में)

क्रमांक	श्रेणी	मामलो की संख्या	राशि
1	करों का नही/कम लगाया जाना	593	2.47
2	शुल्क , जुर्माना तथा अर्थदण्ड आरोपित नहीं होना	53	0.01
3	अन्य मामले	5641	8.77
	कुल	**6287**	**11.25**

वर्ष 2001–2002 के दौरान संबधित विभाग ने 272 मामलों अन्तर्ग्रस्त 6.32 करोड़ रूपये का अवनिर्धारण तथा अन्य अनियमितताएँ स्वीकार किया जिसमें से 83 मामलों में निहित 0.05 करोड़ रूपये वर्ष 2001–2002 के दौरान प्रकाश मे आये बाकी पूर्ववर्ती वर्षो में प्रकाश में आये ।

दृष्टान्त स्वरूप कुछ मामलें जिनमें 0.52 करोड़ रूपये निहित है, अनुवर्ती कंडिकाओं में दिये गये है :–

4.02 कर संग्रहण पर नियंत्रण की कमी

समय–समय पर यथा संशोधित बिहार और उड़ीसा मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1930 और उसके अधीन बनें नियमों के अनुसार वाहन पर देय कर, वार्षिक या तिमाही, जैसा भी हो, उस वर्ष या तिमाही के आरंभ में 15 दिनों के अन्दर भुगतेय है। यदि वाहन मालिक अपना आवास/व्यवसाय बदल दिया हो तो उसे 30 दिनों के अन्दर संबद्ध मूल पंजीयन प्राधिकार को अपना नया पता सूचित करना होगा।

12 जिला परिवहन कार्यालयों[1] में देखा गया (जनवरी और दिसम्बर 2001 के बीच) कि 672 परिवहन वाहन मालिकों ने मूल पंजीयन कार्यालयों में कर देना बंद कर दिया था तथा कर भूगतान नहीं करने का कोई कारण भी अभिलेखित नहीं था । विभाग द्वारा भी कर वसूली के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गयी। इसके फलस्वरूप जनवरी 1992 से दिसम्बर 2001 की अवधि से संबधित 1.92 करोड़ रूपये की कर की वसूली नहीं की गयी ।

इन्हें बताये जाने पर (जनवरी और दिसम्बर 2001 के बीच), 10[2] जिला परिवहन अधिकारियों (68 वाहनो के मामलों में) ने कहा (फरवरी और दिसम्बर 2001 के बीच) कि माँग पत्र निर्गत किये जायेंगे जब कि जिला परिवहन अधिकारी (जि० प० अ०), कटिहार ने कहा (दिसम्बर 2001) कि संबधित वाहन मालिकों को माँग–पत्र निर्गत किया जा चूका है । जि० प० अ०, दरभंगा ने कहा (जनवरी 2001) कि 3 वाहनों के मालिक दूसरे जिलों में कर भूगतान कर रहे हैं। चूँकि वाहन मालिकों ने निबंधन पदाधिकारी से "अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्राप्त नहीं किया तथा न ही वर्त्तमान पता में बदलाव तथा कर भुगतान की स्थिति से संबधित कोई सूचना ही करारोपण पंजी में दर्ज पाया गया अतः उत्तर अमान्य है । तदुपरांत उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2002)।

मामले सरकार को प्रतिवेदित किये गये (जून 2002); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2002)।

4.03 वाहनों से कर वसूली नहीं होना

बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 और उसके अन्तर्गत बने नियमों के अधीन जब मोटर वाहन मालिक अपने वाहन का उपयोग किसी खास अवधि के लिए जो एक समय में छः महीने से अधिक नहीं होगी, नहीं करना चाहता है तों उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा कर भुगतान से छूट दी जा सकती है बशर्ते छूट

---

1. भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा, हाजीपुर, कटिहार, मधुवनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पटना, रोहतास, सहरसा, और समस्तीपुर।

2 भागलपुर, भोजपुर, हाजीपुर, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पटना, रोहतास, सहरसा एवं समस्तीपुर।

का दावा आवश्यक साक्ष्यों जैसे पंजीयन प्रमाणपत्र, योग्यता प्रमाण पत्र, कर प्रतीक आदि से समर्थित हो। वाहन को उपयोग में नहीं लाने की अवधि के लिए विहित विधियों के अनुसरण के बाद ही वह कर भुगतानं से छूट पाने के योग्य होगा। यदि कथित अवधि के विस्तार की जरूरत हो, वाहन मालिक को, संकलित करारोधन अधिकारी को अवधि विस्तार हेतु वचन पत्र जमा करना चाहिए।

(क) दो जिला परिवहन कार्यालयों (मुजफ्फरपुर एवं पूर्णियाँ) में यह देखा गया (अप्रील एवं अगस्त 2001 के बीच) कि 54 मोटर वाहनो के कागजात फरवरी 1998 एवं नवम्बर 2000 के बीच अम्यर्पित किये गये परन्तु किसी भी वाहन मालिक द्वारा अवधि बढ़ाने हेतु वचनपत्र प्राप्त नहीं हुए। ऐसे वचनपत्र के अभाव में, वाहन मालिक अगस्त 1998 से अगस्त 2001 के बीच की अवधि के लिए 15.60 लाख रूपये के कर भुगतान के लिए उत्तरदायी थे।

इन्हें बताये जाने पर (अप्रैल और अगस्त 2001) जिला परिवहन अधिकारी (जि० प० अ०), पूर्णिया ने कहा (अप्रैल 2001) कि माँग पत्र निर्गत किये जायेंगे जबकि जि० प० अ० , मुजफ्फरपुर ने कहा (अगस्त 2001) कि मामलो की जाँच की जायेगी एवं तदनुसार आवश्यक कार्रवाई की जायेगी । तदुपरान्त उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2002)।

मामले सरकार को प्रतिवेदित किए गए (जून 2002); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (नवम्बर 2002) हैं।

(ख) तीन जिला परिवहन कार्यालयों[3] में देखा गया (जुलाई 2000 और सितम्बर 2001 के बीच) कि जनवरी 1994 एवं सितम्बर 2001 के बीच की अवधि के लिए 23 मोटर वाहनो से कर की वसूली नही हुई यद्यपि जिला परिवहन अधिकारी/राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा अभ्यर्पण के आवेदन अस्वीकृत/रद्द कर दिये गये थे। इसके फलस्वरूप 11.49 लाख रूपये राशि के कर की वसूली नहीं हुई।

इन्हें बताये जाने पर (जुलाई 2000 और सितम्बर 2001 के बीच), जिला परिवहन अधिकारी भागलपुर और पटना ने कहा (जुलाई 2000 और फरवरी 2001 के मध्य) कि माँग पत्र निर्गत किये जायेंगे जबकि जि० प० अ०, रोहतास ने कहा (अक्टूबर 2001) कि जाचोपरांत उचित कारवाई की जायेगी। तदुपरान्त उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2002)।

मामले सरकार को प्रतिवेदित किये गये (जून 2002); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2002)।

---

[3] भागलपुर, पटना और रोहतास।

4.04 वाहनों के गलत वर्गीकरण के फलस्वरूप राजस्व की कम वसूली

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत महाविद्यालय, विद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था का मोटर वाहन जिसका उपयोग पूर्णतः शैक्षणिक संस्था के विद्यार्थियों या कर्मचारियों के परिवहन या तत्संबंधी किसी भी क्रिया–कलाप के लिए होता है 'आमनीवस' वाहन माना जाता है और तदनुकूल कर का आरोपण होता है। जुलाई 1994 में निर्गत राज्य परिवहन आयुक्त (रा० प० आ०), बिहार के कार्यपालक निर्देशानुसार यह सुविधा उस संस्था को नहीं मिलेगी जिस संस्था को बिहार अथवा केन्द्रीय शैक्षणिक संस्था द्वारा मान्यता नहीं दी गयी है। पुनः, राज्य सरकार द्वारा मई 1998 में निर्गत अधिसूचना के अनुसार उपरोक्त सुविधा वापस ले ली गई थी तथा ऐसे वाहनों का कर उनके बैठने की क्षमता के आधार पर किया जाना था।

जिला परिवहन कार्यालय, भागलपुर में देखा गया (सितम्बर 2001) कि 12 मोटर वाहन जो बिहार अथवा केन्द्रीय शैक्षणिक संस्था द्वारा मान्यता प्राप्त किसी महाविद्यालय, विद्यालय या किसी शैक्षणिक संस्था के नाम में निबंधित नहीं थे, फिर भी उन्हे 'आमनीबस' माना गया और कम दर पर कर वसूले गये जिसके फलस्वरूप अक्टूबर 1994 और अप्रील 2001 के बीच की अवधि के लिए 6.22 लाख रूपये के कर कम वसूले गये ।

इन्हें बताये जाने पर (सितम्बर 2001), जि० प० अ० ने कहा (सितम्बर 2001) कि माँग पत्र निर्गत किये जायेंगे। तदुपरान्त उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2002)।

मामले सरकार को प्रतिवेदित किये गये (जून 2002); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2002)।

4.05 अन्य राज्यों से प्राप्त बैंक ड्राफ्टों का निष्पादन

बिहार वित्तीय नियमावली के अनुसार सभी लेन–देन को अविलम्ब लेखे में लाना है एवं सभी प्राप्तियों को लोक–लेखे में जमा करा देना है। संबधित राज्यों से प्राप्य संयुक्त शुल्क विषय के बैंक ड्राफ्ट के लिए एक बैंक–ड्राफ्ट पंजी का संधारण करना है। राज्य परिवहन आयुक्त (रा० प० आ०) द्वारा जमा किये गये बैंक ड्राफ्टों में निहित राशि की उगाही के लिए राज्य सरकार ने कुछ राष्ट्रीयकृत बैंको को प्राधिकृत किया है। रा० प० आ० के अनुदेशानुसार (मार्च 1996) अप्रैल से फरवरी के बीच बैंको द्वारा संग्रहित राशि को भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, पटना में इस प्रकार स्थानान्तरित करना है कि माह विशेष की सभी प्राप्तियॉ आनेवाले माह के प्रथम सप्ताह तक स्थानान्तरित हो जाय। जहाँ तक मार्च माह में जमा किये गये प्राप्तियों का प्रश्न है, इसे 31 मार्च तक स्थानान्तरित कर देना है ताकि एक वित्तीय वर्ष में जमा किये गये सभी प्राप्तियाँ उसी वित्तीय वर्ष में सरकारी लेखे में स्थानान्तरित हो जाएँ। भारतीय रिजर्व बैंक के

अनुदेशानुसार (जून 1995) सरकार के लेखे में विलम्ब से प्रेषण के लिए बैंकों द्वारा 11.30 प्रतिशत प्रतिवर्ष के दर पर ब्याज देय है।

(i) बैंक ड्राफ्टों के पुनर्वैधीकरण के अभाव में राजस्व का उदग्रहण नहीं होना

रा० प० आ०, पटना के अभिलेखों के नमूना जाँच (मई 2002) में देखा गया कि अन्य राज्यों से संयुक्त शुल्क के 49.96 लाख रूपये से अर्न्तग्रस्त अप्रील 1994 और जनवरी 2001 के बीच की अवधि के 4911 बैंक ड्राफ्ट, यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया द्वारा रा० प० आ० कार्यालय को जनवरी 2002 में पुनर्वैधीकरण हेतु लौटाये गये, परन्तु विभाग द्वारा (मई 2002) वैधीकृत नहीं किये जाने के फलस्वरूप सरकारी लेखे में राजस्व का उदग्रहण नहीं हुआ।

(ii) बैंक शेष के विरूद्ध चेक का निर्गत नहीं होना

पटना में 27 बैंक है जहाँ संयुक्त शुल्क से संबधित बैंक ड्राफ्ट जो दूसरे राज्य/आर० टी० ए० से प्राप्त होते है रा० प० आ० द्वारा संग्रहण के लिए जमा किये जाते हैं। 31 मार्च 2002 तक 7 बैंकों[4] में 2.19 करोड़ रूपये का अन्तशेष था। इसे सरकार के लेखे में जमा कराने तथा आर० बी० आई के अनुदेशानुसार 11.30 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लगाने के लिए रा० प० आ० द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके फलस्वरूप बैंकों को अनुचित वित्तीय लाभ मिला।

(iii) बैंकों द्वारा राजस्व संग्रहण को जमा करने में बिलम्ब

संग्रहणकर्त्ता बैंकों ने संग्रहित राजस्व को एस० बी० आई०, सचिवालय शाखा, पटना के माध्यम से सरकार के लेखे में विहित अवधि में जमा करने में विफल रहे और यह विलम्ब 1 महीना और 9 महीने से अधिक के बीच पाया गया। बैंकों द्वारा राजस्व को समय से जमा करने को सुनिश्चित करने के लिए विभाग प्रभावशाली उपाय करने में अक्षम रहा। इसके फलस्वरूप मई 2001 और फरवरी 2002 के बीच की अवधि के लिए ब्याज के रूप में 80.15 लाख रूपये के राजस्व की हानि हुई।

मामले सरकार को प्रतिवेदित किये गये (जून 2002); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2002)।

---

4 *इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, पंजाब और सिंध बैंक, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, और एस०बी०आई०, मुख्य शाखा, पटना।*

अध्याय 5 : भू–राजस्व

5.01 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 2001–02 के दौरान राजस्व अंचलों की लेखापरीक्षा में अभिलेखों की नमूना–जाँच से 58.69 करोड़ रूपये के उपकरों के नहीं लगाए जाने/कम लगाए जाने, राजस्व की हानि आदि के 480 मामलों का पता चला जो सामान्यतः निम्नलिखित श्रेणियों में आते है :–

(करोड़ रूपये मे)

क्रमांक	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि
1	सन्निहित भूमि की बंदोबस्ती नहीं होना	124	6.10
2	सलामी और वाणिज्यिक लगान का निर्धारण नहीं होना	90	30.32
3	उपकरों का नहीं लगाया जाना/कम लगाया जाना	126	3.55
4	सैरातों की बंदोबस्ती नहीं होना	41	0.98
5	अन्य मामले	99	17.74
	कुल	**480**	**58.69**

वर्ष 2001–02 के दौरान संबंधित विभाग ने 6.83 करोड़ रूपये के अवनिर्धारण इत्यादि के 80 मामलों को स्वीकार किया जिनमें से 5.94 करोड़ रूपये के 46 मामले वर्ष 2001–02 की लेखा परीक्षा में और शेष पूर्ववर्ती वर्षो में बताए गए थे ।

दृष्टान्त स्वरूप कुछ मामलों, जिनमें 5.89 करोड़ रूपये अंतर्ग्रस्त है, की विवेचना अनुवर्ती कंडिकाओं में की गई है :–

5.02 अतिक्रमित सार्वजनिक भूमि बंदोबस्त/खाली नहीं किया जाना

बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 के अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति ने सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण किया हो या किसी अतिक्रमण को जारी रखने का उत्तरदायी हो तो बिहार सरकार भू–सम्पत्ति (खास–महाल) नियमावली, 1953 में उल्लिखित नियमों के अनुसार अतिक्रमण को खाली करने या वैसी भूमि के उपयोग के लिए लगान और क्षति का भुगतान करने पर उस व्यक्ति को वैसी सार्वजनिक भूमि की बंदोबस्ती हेतु नोटिस तामील की जा सकती है। तद्नुसार, आवासीय/वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए सार्वजनिक भूमि का उपयोग करने के कारण हुए क्षति के मामले में वैसी भूमि पर वर्तमान बाजार मूल्य के आधार पर सलामी के साथ उस सलामी का बीसवाँ/पचासवाँ भाग क्रमशः वणिज्यिक/आवासीय लगान के रूप में भुगतेय है। सरकारी भूमि के अतिक्रमण के बारे में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के 31 मार्च 2000 को समाप्त हुए वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ) में भी उल्लेख है (कंडिका 6.02 ख)।

अपर समाहर्त्ता का कार्यालय, पूर्णिया में यह देखा गया (मई 2002) कि 196 व्यक्तियों ने आवासीय प्रयोजन हेतु भवनों का निर्माण कर 10.11 एकड़ भूमि का अतिक्रमण (वर्ष 1999–2000 एवं 2000–01 की अवधि में) किया। उक्त भूमि के अतिक्रमण को खाली कराने या नियमित करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके परिणामस्वरूप 4.50 करोड़ रूपये के सलामी एवं आवासीय लगान का संग्रहण नहीं हुआ।

इन्हें बताए जाने पर (मई 2002) अपर समाहर्त्ता, पूर्णियाँ ने कहा (मई 2002) कि अतिक्रमित भूमि को खाली कराए जाने हेतु कार्रवाई की जा रही है। तदन्तर, उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2002)।

मामले सरकार को प्रतिवेदित किए गए (मई 2002); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2002)।

5.03 भू–लगान का निर्धारण और संग्रहण नहीं होना

26 अगस्त 1993 के प्रभाव से संशोधित बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 के प्रावधानों के अंतर्गत कोई रैयत समाहर्त्ता की पूर्वानुमति से मूल अधिनियम में विनिर्देशित प्रयोजन से भिन्न प्रयोजनों के लिए अपनी भूमि का उपयोग कर सकता है। समाहर्त्ता को, ऐसी अनुमति देने से पूर्व, विहित तरीके से बाजार मूल्य के पाँच प्रतिशत तक किन्तु तीन प्रतिशत से कम नहीं, ऐसी भूमि के लगान का पुनर्निर्धारण करना है । इसके अतिरिक्त यदि किसी रैयत ने इस तरह के उपयोग के लिए पूर्वानुमति नहीं ली है तो उसके द्वारा भुगतेय लगान, यदि वह उपयोग की तिथि से आवेदन की तिथि तक की अवधि के लिए ससमय आवेदन दिया होता, की दुगुनी राशि के भुगतान पर समाहर्त्ता द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से अनुमति दी जा सकती है।

3 जिलों[1] के 6 राजस्व अंचलों[2] में 96 रैयतों ने, जिन्हें अपनी भूमि पर खेती करने का काश्तकारी अधिकार प्राप्त था, 57.9708 एकड़ भूमि को वर्ष 1990–91 से 2000–01 की अवधि के दौरान ईंट–भट्ठा, क्रशर–मशीन, दुकान, पेट्रोल–पम्प आदि स्थापित कर भिन्न प्रयोजनों के लिए परिवर्तित कर दिया। इनमें से किसी भी मामले में रैयतों को बेदखल करने या लगान पुनः निर्धारित कर अधिभोग के अधिकार को नियमित करने की कोई कार्रवाई नहीं की गई थी और रैयत कृषि लगान पर ही अपने काश्तकारी अधिकार को लगातार बनाए हुए थे। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 1995–96 से 2000–01 की अवधि में 1.05 करोड़ रूपये के राजस्व की वसूली नहीं हुई।

इन्हें बताए जाने पर (मई एवं जून 2001), डेहरी एवं नासरीगंज के अंचल अधिकारियों ने कहा (जून 2001) कि वसूली हेतु कार्रवाई की जा रही है। मुंगेर सदर एवं गायघाट के अंचल अधिकारियों ने कहा (जून 2001) कि इन मामलों को भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता को निर्दिष्ट किया गया है। नोखा के अंचलाधिकारी ने कहा (मई 2001) कि इन मामलों में पट्टाधारियों को अधिसूचना जारी किया गया है जबकि विक्रमगंज के अंचल अधिकारी ने कहा (जून 2001) कि इन मामलों में लगान की वसूली हेतु नीलामी की कार्रवाई शुरू की गई है। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अप्रैल 2002)।

मामले सरकार को प्रतिवेदित किए गए (मई 2002); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (नवम्बर 2002)।

5.04 उपकरों का नहीं लगाया जाना/कम लगाया जाना

बिहार भू–लगान (भुगतान से विभुक्ति) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत सरकार ने 2 हेक्टेयर तक की छोटी जमाबंदी पर 1 अप्रैल 1978 से लगान से छूट दे दी। तथापि, उक्त अधिनियम के अनुसार, ऐसी जमाबंदी पर विभिन्न उपकरों, जैसे पथ उपकर, शिक्षा उपकर, स्वास्थ्य उपकर और कृषि विकास उपकर जो सम्बद्ध उपकर अधिनियम के अंतर्गत आरोग्य है, से छूट नहीं दी गई थी। सितम्बर 1982 में सरकार ने विभिन्न उपकरों की संशोधित दरों की सूचना के साथ बिहार के सभी राजस्व पदाधिकारियों को भू–लगान से विमुक्त काश्तकारों सहित सभी काश्तकारों (रैयतों) पर उक्त उपकर लगाने और वसूलने के अनुदेश भी जारी किया। रोहतास एवं भोजपुर जिले के 2 राजस्व अंचलों, दिनारा और तरारी के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान यह देखा गया (मई और अगस्त 2001) कि भू–लगान से विमुक्त जमाबंदियों पर 18.16 लाख रूपये के उपरोक्त उपकर वर्ष 1995–96 से 2000–01 की अवधि में आरोपित नहीं किए गए।

1 रोहतास , मुंगेर और मुजफ्फरपुर।

2 डेहरी , गायघाट , नासरीगंज , मुंगेर सदर , नोखा और विक्रमगंज।

इन्हें बताए जाने पर (मई एवं अगस्त 2001) सम्बद्ध राजस्व अधिकारियों ने कहा (मई एवं अगस्त 2001) कि वसूली की कार्रवाई की जाएगी। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2002)।
मामले सरकार को प्रतिवेदित किए गए (मई 2002); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2002)।

5.05 विभागीय प्राप्तियों का व्यय हेतु अनधिकृत उपयोग

बिहार वित्तिय अधिनियम, भाग–1 के अन्तर्गत विभागीय नियंत्रण पदाधिकारियों को यह देखना है कि सरकार के समस्त बकाया राशियों का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं लोक–लेखा में विधिवत जमा तत्काल किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, बिहार कोषागार नियमावली में भी यह प्रावधान है कि राज्य के राजस्व के रूप में सरकारी कर्मचारी द्वारा प्राप्त किए गए अथवा उसे दिए गए सभी राशियों को सरकारी लेखा में जमा करने हेतु बिना किसी अनुचित विलंब के कोषागार में पूर्ण भुगतान किया जाय।

राजस्व अंचल, बेतिया सदर (पश्चिमी चंम्पारण) के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान यह देखा गया (अक्टूबर 2001) कि 1998–99 के पूर्व भू–राजस्व मद में संग्रह किए गए 15.78 लाख रूपये की राशि को कोषागार में जमा करने के बजाय व्यय हेतु उपयोग किया गया। इसके परिणामस्वरूप उक्त राशि सम्बद्ध राजस्व शीर्ष में विलेखित नहीं की गई तथा राज्य विधायिका की स्वीकृति के बिना उक्त राशि का व्यय हेतु अनधिकृत विचलन किया गया।

इसे बताए ज़ाने पर (अक्टुबर 2001) बेतिया सदर (पश्चिमी चंपारण) के अंचल अधिकारी ने कहा (अक्टूबर 2001) कि सम्बद्ध व्यय–शीर्ष में कोष के आवंटन हेतु मांग की गई है, एवं कोष की प्राप्ति के पश्चात् उक्त राशि को समायोजित कर लिया जाएगा। निर्धारण पदाधिकारी का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि वित्तिय अधिनियम के अनुसार विभागीय प्राप्तियों का उपयोग विभागीय व्यय हेतु नहीं किया जा सकता है।

मामले सरकार को प्रतिवेदित किए गए (मई 2002); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2002)।

अध्याय 6: अन्य कर प्राप्तियाँ

6.01 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 2001–02 के दौरान की गई लेखा परीक्षा में अधोलिखित प्राप्तियों के अभिलेखों की नमूना जांच से कर, फीस, शुल्क का अवनिर्धारण और राजस्व की हानि आदि का पता चला, जो सामान्यतः निम्नलिखित श्रेणियों में आते है :–

(करोड़ रूपये मे)

क्रमांक	श्रेणी	मामलो की संख्या	राशि
क	**माल एवं यात्री पर कर– स्थानीय क्षेत्र में माल पर कर**		
1.	कर का नहीं/कम लगाया जाना	33	4.84
	कुल	**33**	**4.84**
ख	**मुद्रांक शुल्क और निबंधन फीस**		
1.	दस्तावेजों के गलत वर्गीकरण के कारण अवनिर्धारण	221	0.40
2.	अनियमित छूट की स्वीकृति	124	0.46
3.	संशोधित दरों की देर से प्राप्ति के कारण मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस की कम उगाही	70	0.03
4.	अन्य मामले	25155	15.61
	कुल	**25570**	**16.50**
ग.	**ईख पर कर**		
1.	बकाया कर पर ब्याज नहीं लगाया जाना	8	1.59
2.	अन्य मामले	1	2.84
	कुल	**9**	**4.43**
घ.	**मनोरंजन कर**		
1.	मनोरंजन कर का कम लगाया जाना	3	0.17
	कुल	**3**	**0.17**

वर्ष 2001–02 के दौरान संबंधित विभागों ने 5242 मामलों में 4.69 करोड़ रूपये के अवनिर्धारण आदि को स्वीकार किया जिनमें से 1.31 करोड़ रूपये से अंतर्ग्रस्त 1270 मामले 2001–02 के दौरान लेखा परीक्षा में और शेष पूर्ववर्ती वर्षो में बताए गए थे।

दृष्टान्त स्वरूप कुछ मामले, जिनमें 28.12 करोड़ रूपये का कर–प्रभाव अन्तर्ग्रस्त है, अनुवर्ती कंडिकाओं में दिए जा रहे है :–

प्रवेश कर

6.02 अर्थदण्ड का नहीं लगाया जाना

बिहार माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993 (बि0टी0ई0जी0 अधिनियम) के साथ पठित बिहार वित्त अधिनियम, 1981 के अंतर्गत अगर निबंधित व्यवसायी देय कर का भुगतान नियत तिथि तक करने में असफल होता है तो कर–निर्धारण प्राधिकारी विहित दर से अर्थदण्ड आरोपित करेगा। तदन्तर, मार्च 1996 में निर्गत एक कार्यपालिका आदेशानुसार देय स्वीकृत कर की वसूली 31 मार्च 1996 तक किया जाना था।

बेगूसराय अंचल में, यह देखा गया (जून 2001) कि वर्ष 1993–94 से 1995–96 और 1998–99 की अवधि (कर निर्धारण जुलाई 1997 एवं मई 2000 में) के दौरान एक व्यवसायी 52.63 करोड़ रूपये देय कर का भुगतान नियत समय पर करने में असफल रहा। विलंब की अवधि 7 दिन और 14 महीना 9 दिन के मध्य थी, इस प्रकार, व्यवसायी दण्डस्वरूप 27.46 करोड़ रूपये का देनदार था।

इसे बताये जाने पर (जून 2001) विभाग ने संपूर्ण राशि के लिए मांग सृजित किया (सितम्बर 2002)। तदन्तर, उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2002)।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2002); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2002)।

6.03 प्रवेश कर का कम लगाया जाना

बि0टी0ई0जी0 अधिनियम, 1993 और उसके अधीन बने नियमों के अंतर्गत स्थानीय क्षेत्र में अनुसूचित माल के प्रवेश पर प्रवेश कर उक्त माल के आयात मूल्य पर आरोपित एवं वसूली जायगी। सिमेंट पर प्रवेश कर 5 प्रतिशत की दर से आरोप्य है।

विशेष अंचल, पटना में यह देखा गया (मार्च 2001) कि एक व्यवसायी ने वर्ष 1998–99 के दौरान 57.30 करोड़ रूपये मूल्य का सिमेंट आयात किया, किन्तु सिर्फ 50.39 करोड़ रूपये पर कर आरोपित किया गया (दिसम्बर 1999)। इस प्रकार 6.91 करोड़ रूपये मूल्य का आयातित सिमेंट कर–निर्धारण से छूट जाने के फलस्वरूप 34.57 लाख रूपये का कम प्रवेश कर लगाया गया।

इसे बताये जाने पर (मार्च 2001) विभाग ने कहा कि मामले की जांच की जायेगी। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2002)।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2002); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (नवम्बर 2002)।

6.04 प्रवेश कर आरोपित नहीं किया जाना

बी0टी0ई0जी0 अधिनियम, 1993 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अंतर्गत स्थानीय क्षेत्र में अनुसूचित माल के प्रवेश पर कर उक्त माल के आयात मूल्य के 5 प्रतिशत की दर से अधिक नहीं आरोप्य एवं वसूलनीय है। तदन्तर, अनुसूचित माल के व्यापार में संलग्न प्रत्येक व्यवसायी/व्यक्ति अथवा जो विहित मात्रा से अधिक उक्त माल का आयात करते है, बी0टी0ई0जी0, अधिनियम के तहत उन्हें निबंधन कराना है। निबंधन के लिए आवेदन देने में असफल होने पर वे विहित दर पर अर्थदण्ड के देनदार होंगे। तम्बाकू के उत्पाद पर प्रवेश कर 3 प्रतिशत की दर से आरोप्य है।

2 वाणिज्यकर अंचलों (सारण एवं दानापुर) में यह देखा गया (जनवरी एवं जून 2001) कि बी0टी0ई0जी0 अधिनियम के अंतर्गत 3 अनिबंधित व्यवसायियों ने वर्ष 1993–94 से 1999–2000 के दौरान 3.90 करोड़ रूपये मूल्य का सिगरेट एवं जर्दा आयात किया। 30.86 लाख रूपये का प्रवेश कर (अर्थदण्ड एवं जुर्माना सहित) आरोप्य था, किन्तु आरोपित नहीं किया गया।

इसे बताये जाने पर (जनवरी 2001), विभाग ने कहा (सितम्बर 2002) कि दो मामले में (सारण) 8.35 लाख रूपये का मांग सृजित किया गया जबकि दानापुर के मामले में कहा गया (जून 2001) कि मामलों की समीक्षा की जायेगी। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2002)।

मामले सरकार को प्रतिवेदित किये गये (फरवरी एवं मई 2002); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2002)।

अध्याय 7 : खनिज रियायत, शुल्क तथा रॉयल्टियाँ

7.01 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 2001–02 के दौरान की गई लेखा परीक्षा में खनन कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जाँच से लगान, रॉयल्टियाँ, शुल्क इत्यादि के 66 मामलों में 32.63 करोड़ रूपये के अवनिर्धारण तथा हानि का पता चला, जो सामान्य रूप से निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आते है :–

(करोड़ रूपये में)

क्रमांक	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि
1	अर्थदंड का नहीं लगाया जाना	24	9.72
2	मुद्रांक शुल्क/निबंधन शुल्क का नहीं लगाया जाना	5	1.43
3	बालू घाटों की बंदोबस्ती नहीं /अनियमित होने के कारण नीलाम राशि का उदग्रहण नहीं /कम होना	5	0.89
4	ब्याज का नहीं लगाया जाना	9	2.59
5	प्रमाणपत्र की कार्यवाहियाँ आरंभ नहीं किया जाना	4	0.37
6	अन्य मामले	19	17.63
	कुल	**66**	**32.63**

वर्ष 2001–02 के दौरान सम्बद्ध विभाग ने 8 मामलों में निहित 0.83 करोड़ रूपये का अवनिर्धारण आदि स्वीकार किया इनमें से सभी मामले लेखा परीक्षा में पूर्ववर्ती वर्षो में बताये गये थे।

दृष्टान्त स्वरूप कुछ मामले "खनिज प्राप्तियाँ" पर की गई समीक्षा सहित, जिनमें राजस्व प्रभाव के 21.40 करोड़ रूपये अंन्तर्ग्रस्त थे, अनुवर्ती कंडिकाओं में चर्चा की गई है :–

7.02 खनिज प्राप्तियाँ

7.02.01 प्रस्तावना

खनिज के पूर्वेक्षण एवं खनन के क्रियाकलाप खान तथा खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 और इसके अंतर्गत विनिर्मित खनिज रियायत नियमावली, (ख0रि0नियमावली), 1960 के द्वारा विनियमित होता है। लघु खनिजों का खनन राज्य सरकार द्वारा विर्निमित बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, 1972 के द्वारा विनियमित होता है।

बिहार के महत्वपूर्ण खनिज चूना पत्थर, पायराईट, स्लेट, अभ्रक (वृहत खनिज) और इमारती पत्थर, ग्रेवल, ईंट की मिट्टी, बालू इत्यादि (लघु खनिज)।

खनिज प्राप्तियों में प्रमुख रूप से रॉयल्टी, नियत लगान, भूतल लगान, पट्टा/अनुज्ञापत्र/पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन शुल्क, जुर्माना एवं अर्थदंड, बकाया राशि के विलम्ब से भुगतान के लिए ब्याज इत्यादि समाविष्ट है।

7.02.02 संगठनात्मक ढाँचा

राज्य सरकार के खनन एवं भूतत्व विभाग में प्रधान के रूप में सरकार के स्तर पर आयुक्त–सह–सचिव के द्वारा खानों एवं खनिजों का विनियमन और विकास, खनिज रियायत की स्वीकृति, निर्धारण और खनन बकाया का समाहरण प्रशासित होते है। निदेशक, खान विभाग के प्रमुख होते है, उन्हें अपर निदेशक, खान (अ0नि0ख0) उप निदेशक, खान (उ0नि0ख0) और जिला खनन पदाधिकारियों (जि0ख0प0)/सहायक खनन पदाधिकारियों (स0ख0प0) के द्वारा सहायता की जाती है। जि0ख0प0/स0ख0प0, जिला कार्यालय के प्रभारी, रॉयल्टी तथा अन्य खनन बकाया के निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण के लिए उत्तरदायी है। अंचलों के प्रभारी उपनिदेशक, खान अपीलीय अधिकारी है और उन्हें बकाया खनन राशि की वसूली हेतु प्रमाणपत्र अधिकारी की शक्ति प्रदत्त है।

7.02.03 लेखा परीक्षा का क्षेत्र

रॉयल्टी के उद्ग्रहण एवं संग्रहण के लिए पद्धति एवं प्रक्रिया की पर्याप्तता और प्रभावशीलता के मूल्यांकन और खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 और इसके अंतर्गत बनी खनिज रियायत नियमावली 1960 एवं बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, 1972 के प्रावधान के अनुपालन का निर्धारण करने के उद्देश्य से अक्टुबर 2001 और मई 2002 की अवधि के दौरान 24 जिला खनन पदाधिकारियों में से 10[1], 6 अंचलों में से 3[2] और निदेशालय, खान के 1996–97 से 2000–2001 के वर्षो की अभिलेखों की एक समीक्षा की गई।

---

[1] *औरंगाबाद , भोजपुर , छपरा , दरभंगा , गया , मुजफ्फरपुर , मधुबनी , पटना , रोहतास और समस्तीपुर ।*

[2] *मगध , मुजफ्फरपुर और पटना।*

पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा के दौरान समीक्षा से संबंधित पाये गये कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओं को भी समीक्षा में सम्मिलित किया गया है।

7.02.04 विशिष्टताएँ

(i) 5 जिलों में 53.18 लाख रूपये के सुरक्षित जमा सहित 29 बालू क्षेत्र अबंदोबस्त रहे और फलस्वरूप उस परिणाम तक राजस्व की हानि हुई।

(कंडिका 7.02.07)

(ii) 8 जिलों में, अवैध तरीके से खनित और निर्माण कार्यों के निष्पादन में उपयोगित खनिजों के लिए निर्माण कार्य के ठेकेदारों पर 3 करोड़ रूपये का अर्थदंड आरोपित नहीं किया गया ।

(कंडिका 7.02.09)

(iii) 4 जिलों में, 5.33 करोड़ के बदले 3.32 करोड़ रूपये का प्रमाणित बकाया सरकार को प्रतिवेदित किया गय, फलस्वरूप उतने परिणाम के 2.01 करोड़ रूपये का कम प्रदर्शन हुआ।

(कंडिका 7.02.11)

(iv) 9 जिलों में, 1.78 करोड रूपये का रॉयल्टी की समेकित राशि का भुगतान किये बिना 136 ईट भट्टा मालिकों ने अपने ईट भट्टो का निरंतर संचालन किया।

(कंडिका 7.02.12)

7.02.05 राजस्व की प्रवृति

1996–97 से 1999–2000 वर्षो के दौरान अविभाजित बिहार के संबंध में और 2000–2001 वर्ष के लिए झारखंड के निर्माण के पश्चात् बिहार के संबंध में बजट अनुमानों और वास्तविकों के मध्य भिन्नता की जानकारी निम्न थी :–

(करोड़ रूपये में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक	कम(–)अधिक(+)	भिन्नता की प्रतिशतता
1996–97	825.00	820.28	(-) 4.72	(-) 0.57
1997–98	860.00	808.55	(-) 51.45	(-) 5.98
1998–99	1025.00	740.92	(-) 284.08	(-) 27.72
1999–00	1050.00	707.56	(-) 342.44	(-) 32.61
2000–01	350.00	409.92	(+) 59.92	(+) 17.00

उपर्युक्त तालिका बजट अनुमानों और वास्वतिकों के मध्य विस्तृत भिन्नता, विशेष रूप से 1998–99 और 1999–2000 के दौरान वास्तविक हमेशा बजट अनुमानों से कम रही, प्रकट करती है। पांच वर्ष की अवधि के दौरान राजस्व संग्रहण एक ह्रासोन्मुख प्रवृति प्रदर्शित करती है। यद्यपि बजट अनुमानों और वास्तविक संग्रहण के मध्य भिन्नता और संग्रहण में ह्रासोन्मुख प्रवृति के कारण मांगे गये थे (जून 2002) विभाग/सरकार से प्राप्त नहीं हुए है।

7.02.06 रॉयल्टी का कम लगाना

बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, 1972 प्रत्येक पट्टाधारी से प्रत्येक माह लघु खनिजों के लिए एक सच्ची और सही विवरणी विहित प्रपत्र में बाद के माह के 15 वें दिन तक जिला खनन पदाधिकारी को प्रस्तुत करने की अपेक्षा करता है। जिला खनन पदाधिकारी पट्टाधारी द्वारा प्रस्तुत की गई मासिक विवरणियों की सत्यापन करने के पश्चात् पट्टाधारी द्वारा भुगतेय लगान/रॉयल्टी की राशि का निर्धारण करेगा। रॉयल्टी के अपवंचन को कम करने के उद्येश्य से अक्टूबर 1986 में निर्गत परिपत्र द्वारा सरकार ने मासिक विवरणियों में दिखाये गये आंकड़े की तिर्यक जाँच के लिए खानों/खदानों की भौतिक सत्यापन और त्रैमासिक अनुभागीय मापों को विहित किया। तदन्तर खान मंत्री की अध्यक्षता में विभागीय पदाधिकारियों की बैठक (मई 1993) में यह विनिश्चय किया गया कि पट्टाधारी द्वारा प्रतिवर्ष पत्थर का प्रेषण 60,000 घन फीट (घ0फी0) से कम परिणाम का प्रदर्शन सामग्रियों के प्रेषण में छिपाव है क्योंकि अल्प परिणामों में खनन–व्यवसाय अव्यवहारिक थी।

गया और सासाराम के पत्थर खदानों के पट्टाधारियों द्वारा प्रस्तुत की गई मासिक विवरणियों की संवीक्षा से पता चला (मार्च और मई 2002) कि कुल 228.97 एकड़ पट्टाक्षेत्र रखने वाले 72 पट्टाधारियों के मामले में बिना अनुभागीय माप या कोई निरीक्षण किये 1996–97 से 2000–01 की अवधि के लिये मासिक विवरणियों के आधार पर 28.66 लाख रूपये का नियत लगान/रॉयल्टी के लिए मांगे सृजित की गई। खनिजों के प्रेषण की न्यूनतम परिमाण पर विचार किये बिना जैसा कि मई 1993 की बैठक में निर्णय लिया गया था, इन मामलों में नियत लगान/रॉयल्टी पर अधारित निर्धारण किया गया। इसके फलस्वरूप संभवतः 87.13 लाख रूपये की राशि का रॉयल्टी कम उद्ग्रहित हुई।

7.02.07 बालू क्षेत्रों का बंदोवस्त नहीं होना

बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, 1972 के अंतर्गत जिला समाहर्त्ता को वार्षिक आधार पर सार्वजनिक नीलामी द्वारा उच्चतम डाककर्त्ता के पक्ष में किन्तु बालू (एक लघु खनिज) बन्दोवस्त करने के लिए सक्षम बनाया गया है। दूरस्थ किन्तु पृथक और बालू क्षेत्रों की जमा (सुरक्षित जमा) जिसे समुचित रूप से और सुविधानुसार नीलामी द्वारा बंदोवस्त नहीं किया जा सकता है उन्हें समाहर्त्ता द्वारा परिलक्षित किये जाते हैं और आयुक्त के द्वारा अनुमोदित किये जाते है, सक्षम अधिकारी एक अवधि के लिए जो एक वर्ष से अधिक नहीं हो बालू को निकालने और हटाने के लिए किसी व्यक्ति को अनुज्ञापत्र निर्गत कर सकता है।

5[3] जिलों में यह देखा गया (अगस्त 2000 और मार्च 2002 के मध्य) कि बंदोवस्ती के लिए उपलब्ध 167 बालू क्षेत्रों में से, 53.18 लाख रूपये के सुरक्षित जमा सहित

[3] छपरा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना और रोहतास।

29 बालू क्षेत्रों की 1999–2000 और 2000–01 वर्ष के दौरान दूरस्थ होने के कारण बंदोवस्ती नहीं हुई। समाहर्त्ता ने न तो ऐसे क्षेत्रों को परिलक्षित किया और न ही अनुमोदन के लिए जो अपेक्षित थी, आयुक्त से सम्पर्क किया ताकि इच्छुक व्यक्तियों को अनुज्ञापत्र निर्गत करने लिए इंतजाम हो सके जिसके फलस्वरूप 53.18 लाख रूपये की हानि हुई।

7.02.08 रॉयल्टी के विलम्बित भुगतान पर ब्याज का नहीं/कम लगाया जाना

बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, 1972 के अतंर्गत सरकार किसी भी लगान, रॉयल्टी या फीस या सरकार को बकाया अन्य रकम पर 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज लगा सकती है।

6[4] जिला खनन कार्यालयों में यह देखा गया (मई 2000 और मई 2002 के मध्य) कि 154 पट्टाधारियों/ईंट भट्टा मालिकों ने विभिन्न अवधियों के लिए जुलाई 1997 और अक्टुबर 2001 के मध्य 27 से 707 दिनों के विलम्ब से 42.23 लाख रूपये का खनन बकाया का भुगतान करने में चूक की जिसके लिए 6.91 लाख रूपये का ब्याज उद्ग्रहणीय था लेकिन उद्ग्रहित नहीं किया गया।

7.02.09 निर्माण कार्य ठेकेदारों द्वारा अवैध खनन के लिए अर्थदंड का नहीं लगाया जाना

बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, 1972 के अंतर्गत निर्माण कार्य ठेकेदार रॉयल्टी के छुपाव को रोकने के लिए केवल पट्टाधारियों/अनुज्ञप्तिधारियों और अधिकृत व्यापारियों से खनिजों का क्रय करेगा। तद्न्तर नियम यह प्रावधान करता है कि निर्माण कार्य ठेकेदार एक शपथ पत्र प्रपत्र 'एम' में और ब्योरा प्रपत्र 'एन' में जिसमें प्राप्त किये गए खनिजों के स्त्रोत, भुगतान की गई मूल्य और परिमाण का विवरण देते हुए, विपत्र के साथ निर्माण कार्य विभाग को प्रस्तुत करेगा। निर्माण कार्य विभाग क्रम से प्रपत्र 'एम' और 'एन' की छायाप्रतियों का ब्यौरों के सत्यापन के लिए संबंध खनन पदाधिकारी को अग्रसारित करेगा। यदि प्रपत्र 'एम' और 'एन' में दिये गये ब्योरे गलत पाये जाते है तो यह माना जायेगा कि अवैध खनन के द्वारा खनिज प्राप्त किये गये और दोषी को रॉयल्टी के समतुल्य खनिज का मूल्य भुगतान करना होगा।

8 जिलों के अभिलेखों ने यह तथ्य प्रकट किया (मई 2000 और मार्च 2002 के मध्य) कि निर्माण कार्य विभाग के द्वारा ठेकेदार के विपत्र से काटी गई 3 करोड़ रूपये की रॉयल्टी जिला खनन पदाधिकारियों द्वारा अपेक्षित शपथ पत्र प्रपत्र 'एम' और ब्योरे प्रपत्र 'एन' के बिना प्राप्त किये गये। जिला खनन पदाधिकारी को प्रपत्र 'एम' और 'एन' प्रस्तुत नहीं करने के फलस्वरूप उपर्युक्त प्रावधान का

[4] *औरंगाबाद, दरभंगा, मधुबनी, पटना, समस्तीपुर और सासाराम।*

उल्लघंन हुआ जिसके कारण ठेकेदार को 3 करोड़ रूपये का अर्थदंड भुगतान करने लिए उत्तरदायी ठहराया।

7.02.10 बकाया राजस्व

खान और भूतत्व विभाग द्वारा प्रदान किये गये, ब्योरे के अनुसार 31 मार्च 2001 के अंत तक वर्षवार अलग–अलग बकाया निम्नवत् था :–

(करोड़ रूपये में)

वर्ष	राशि
1996–97 तक	26.15
1997–98	5.73
1998–99	6.64
1999–2000	8.47
2000–2001	12.07
कुल	**59.06**

उपर्युक्त में से, 3.83 करोड़ रूपये प्रमाण पत्र कार्यवाहियों द्वारा आच्छादित हैं।

(ब) प्रमाण पत्र मामलों के निष्पादन में विलंब

राजस्व पर्षद के अनुदेशानुसार, अभियाचना अधिकारी और प्रमाण पत्र अधिकारी सम्मिलित रूप से प्रमाण पत्र मामलों के त्वरित निपटारे के लिए उत्तरदायी हैं और अनुचित विलम्ब के लिए एक दूसरे की जानकारी में लाने के लिए बाध्य हैं अगर जरूरी हो तो अनुचित विलंब की जानकारी समाहर्त्ता को देंगे। अभियाचना अधिकारी प्रमाणपत्रों के लिए व्यवस्थित आवेदन, आपत्तियों का शीघ्र निपटारा और कार्यान्वयन के लिए शीघ्र आवेदन देने के लिए मूल रूप से उत्तरदायी है। उन्हें यह भी देखना है कि निष्पादन की कार्यवाही संतोषजनक रूप से प्रगति कर रहीं है ।

818 प्रमाणपत्र मामलों का 2 उपनिदेशको, खान–सह–प्रमाणपत्र अधिकारियों के अधीन 4[5] जिला खनन कार्यालयों के अभिलेखों के साथ की गई नमूना जाँच जैसा कि उपर्युक्त कहा गया है, विचाराधीनता की अवधि को प्रकट किया जैसा कि यहाँ नीचे दिखाया गया है :–

(करोड़ रूपये में)

क्रमांक	अवधि	मामलो की संख्या	राशि
1	20 वर्षो से अधिक	69	0.06
2	15 वर्षो से अधिक और 20 वर्षो तक	130	0.10
3	10 वर्षो से अधिक और 15 वर्षो तक	447	1.58
4	5 वर्षो से अधिक और 10 वर्षो तक	172	0.03
	कुल	**818**	**2.04**

5 *भोजपुर, गया , पटना और रोहतास।*

7.02.11 पंजी 9 और पंजी 10 के मध्य आँकड़ों की विभिन्नता

लोक मांग वसूली अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत, प्रमाणपत्र मुकदमा कार्यवाहियाँ उन बकाया राशियों की वसूली के लिए आरंभ की जाती है जिनके लिए प्रमाण पत्र प्रस्ताव अभियाचना अधिकारी प्रमाणपत्र अधिकारी को भेजते हैं और ऐसे मामलों का विवरण पंजी 9 में अंकित होता है। बकाया राशि की वसूली के लिए प्रमाणपत्र कें निर्गमन हेतु प्रमाण पत्र अधिकारी द्वारा संधारित पंजी 10 में इन मामलो को क्रम वार प्रविष्ट किया जाता है।

4[6] खनन पदाधिकारियों के संबंध में 31 मार्च 2000 के अंत तक प्रमाणित बकाया राशियों जैसा की उप निदेशक, खान द्वारा प्रतिवेदित किया गया और पंजी 9 और पंजी 10 के आधार पर लेखा परीक्षा द्वारा संगणित उन्हीं बकाया राशियों की संवीक्षा करने से यह तथ्य प्रकट हुआ कि 3642 मामलों में अंतर्ग्रस्त 5.33 करोड़ रूपये के वास्तविक प्रमाणित राशियों के विरूद्ध केवल 3126 मामलों में अतंर्ग्रस्त 3.32 करोड़ रूपये के आँकड़ा विभाग द्वारा सरकार को प्रतिवेदित किये गये जिसके फलस्वरूप 2.01 करोड़ रूपये की विभिन्नता प्रमाणित राशियों में थी ।

7.02.12 चिरकालिक व्यतिक्रमियों द्वारा अवैध खनन नहीं रोका जाना

बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, 1972 तथा उसके अंतर्गत निर्गत सरकारी अधिसूचना के अंतर्गत, प्रत्येक ईंट भट्ठा का मालिक/ईंट मिट्टी ले जानेवाले अनुज्ञप्ति निर्गत होने से पहले एक मुश्त में समेकित रॉयल्टी का भुगतान करेगा। चूक की स्थिति में, ईंट भट्ठा मालिक/मिट्टी ले जाने वाले को व्यापार करने की अनुमति नहीं दी जायेगी और देय राशि का भुगतान समय पर नहीं करने के लिए, उसके विरूद्ध प्रमाणपत्र मुकदमा प्रारंभ की जानी चाहिए।

9[7] जिला खनन कार्यालयों कें पंजी 9 और पंजी 10 की नमूना जांच के दौरान यह पाया गया कि (मार्च और मई 2002 के मध्य) 136 ईंट भट्ठा मालिकों के विरूद्ध 1981–82 से 2000–01 की अवधि के दौरान 1976–77 और 1999–2000 के विभिन्न वर्षो से संबंधित बकाया राशि के लिए 1.78 करोड़ रूपये के लिए 616 प्रमाण पत्र मुकदमें आरंभ किये गये। यद्यपि ईंट भट्ठा मालिकों ने निरंतर ईंट मिट्टी के अवैध खनन में लगे रहे और प्रमाणपत्र मुकदमा बारम्बार (3 से 16 बार) उनके विरूद्ध आरंभ किये गये। न तो ईंट भट्ठा का कार्य रोका गया न हीं बकाया की वसूली की गई।

7.02.13(क) प्रमाणपत्र कार्यवाहियाँ आरंभ करने में अत्यधिक विलंब

खान तथा खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 के साथ पठित खनिज रियायत नियमावली, 1960 और बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली,

6 *दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मधुबनी और समस्तीपुर।*

7 *भोजपुर, दरभंगा, छपरा, गया, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पटना, रोहतास और समस्तीपुर।*

1972 के अंतर्गत रॉयल्टी, नियत लगान और अन्य खनन बकाया को एक निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान करना अपेक्षित है। ईंट भट्ठा मालिक द्वारा समेकित रॉयल्टी का भुगतान नहीं करने की स्थिति में, उसे व्यापार करने की अनुमति नहीं दी जायेगी और सक्षम पदाधिकारी ऐसे व्यापार को रोक देगा। अक्टूबर 1987 में निर्गत सरकारी अनुदेशों के अनुसार, ईंट भट्ठा मालिकों द्वारा अभुगतेय रहे बकाया राशियों को तत्काल प्रमाणित किये जाने थे।

5[8] जिला खनन कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जाँच से यह तथ्य प्रकट हुआ कि 1974–75 और 2000–01 के मध्य विभिन्न वर्षो से संबंधित 373 मामलों में अंर्तग्रसित 86.58 लाख रूपये के खनन बकाया के लिए 1994–95 और 2000–01 के मध्य प्रमाणपत्र कार्यवाहियाँ प्रारंभ किये गये, विलंबता की अवधि 1 से 20 वर्षो की रही।

(ख) प्रमाणपत्र कार्यवाहियों का आरंभ नहीं किया जाना

5[9] जिला खनन कार्यालयों से संबंधित मांग, संग्रहण एवं शेष पंजी और प्रमाणपत्र अभियाचना पंजी की संवीक्षा से यह तथ्य प्रकट हुआ कि अप्रैल 1995 और मार्च 2001 के मध्य विभिन्न अवधियों के 1074 मामलों में अंतर्ग्रसित 3.03 करोड़ रूपये के खनन बकाया राशियों के लिए जिला खनन पदाधिकारियों द्वारा प्रमाणपत्र की कार्यवाहियाँ आरंभ नही की गई।

7.02.14 लंबित प्रमाणपत्र मामले

(अ) अभियाचना अधिकारी और प्रमाणपत्र अधिकारी के मध्य समन्वय की कमी

देनदारों से बकाया की वसूली के क्रम में खनन नियम, लोक मांग वसूली अधिनियम के अन्तर्गत भू–राजस्व की बकाया की तरह वसूली करने का प्रावधान करता है। राजस्व पर्षद के अनुदेशानुसार, अभियाचना अधिकारी और प्रमाण पत्र अधिकारी सम्मिलित रूप से प्रमाण पत्र मामलों के त्वरित निपटारे के लिए उत्तरदायी है और अनुचित विलम्ब के लिए एक दूसरे की जानकारी में लाने के लिये और यदि आवश्यक हो, समाहर्त्ता को जानकारी देने के लिए बाध्य है। अभियाचना अधिकारी प्रमाणपत्रों के लिए व्यवस्थित आवेदन, आपत्तियों का शीघ्र निपटारा यदि उनको भेजा जाता है, इस प्रकार की निष्पादन के पश्चात् संचिकाओ की वापसी और कार्यान्वयन के लिए शीघ्र आवेदन, सम्पदा की ब्योरे देंगे जिसके विरूद्ध प्रमाणपत्र दिया जाना है, के लिए मूल रूप से उत्तरदायी है। उन्हें यह भी देखना है कि निष्पादन की कार्यवाही संतोषजनक रूप से प्रगति कर रही है।

---

8 दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पटना और समस्तीपुर।

9 गया, मधुबनी, पटना, रोहतास और समस्तीपुर।

4[10] जिला खनन कार्यालयों एवं 2[11] उपनिदेशक, खान से संबंधित लंबित प्रमाण पत्र मामलों की नमूना जॉच से यह प्रकट हुआ कि राजस्व पर्षद के द्वारा प्रमाण पत्र मामलों के निष्पादन के लिए अभियाचना अधिकारी और प्रमाण पत्र अधिकारी की संयुक्त जवाबदेही पर जोर देने के विचार का अनुपालन नहीं किया गया और अभियाचना अधिकारियों द्वारा प्रमाणपत्र अधिकारी या समाहर्त्ता को कार्यान्वयन में विलंब की जानकारी विरले ही दी गई। बहुत से मामलों में अभियाचना अधिकारी द्वारा प्रमाणपत्र अधिकारी के द्वारा मांगी गई टिप्पणियों एवं सूचनायें प्रस्तुत नहीं की गई।

अवधि और लंबिता की प्रकृति तथा कुछ कारणों जिससे प्रमाणपत्र मामले निपटारे के लिए लंबित रहे है, उनको अनुवर्ती उप–कंडिकाओं में दिये गये है :–

(आ) नियमित अनुश्रवण और अनुवर्ती कार्यवाही का अभाव

गया और मुजफ्फरपुर के उप निदेशक, खान सह प्रमाणपत्र अधिकारियों के पंजी 10 के साथ मामला अभिलेखों की नमूना जॉच से प्रकट हुआ कि 39.20 लाख रूपये के प्रमाणित देय से अंतर्ग्रसित 110 प्रमाणपत्र मामलों के निष्पादन की प्रक्रिया में कम से कम 3 से 11 बार एक ही मामला में कुर्की/गिरफ्तारी वारंट निर्गत किये गये (फरवरी 1981 और मार्च 2001 के मध्य) लेकिन पुलिस विभाग की सहभागिता के अभाव में कार्यान्वित नहीं हुआ और तदन्तर अनुवर्ती कार्यवाहीं नहीं होना भी पुलिस विभाग के साथ समन्वयन में कमी की ओर संकेत किया तथा मामला को उच्च स्तर पर नहीं उठाया गया।

(इ) प्रमाण पत्र मामलों का अनियमित प्रतिप्रेषण

लो0मां0व0 अधिनियम, 1993 के अंतर्गत प्रमाणपत्र अधिकारी याचिका की सुनवाई करेगा, साक्ष्य लेखा (यदि आवश्यक हो) तथा प्रमाण पत्र देनदार पूरी राशि या राशि के किसी भाग जिसके लिए प्रमाण पत्र हस्ताक्षरित हुआ, के लिए उत्तरदायी है, निर्धारित करेगा और तदन्तर प्रमाण पत्र को अपास्त, रूपान्तरित या परिवर्तित कर सकता है। लो0मां0व0 के अतंर्गत अभियाचना अधिकारी को प्रमाण पत्र मामलों को प्रतिप्रेषण करने का प्रावधान नहीं है। किन्तु अभियाचना अधिकारी द्वारा पुनः परीक्षण के लिए मामले को प्रतिप्रेषण करना सामान्य प्रक्रिया है।

5[12] जिला खनन कार्यालयों से संबंधित पंजी 9 और संबंधित प्रमाणपत्र अधिकारियों की पंजी की नमूना जाँच के दौरान यह देखा गया (मार्च 2001 और मई 2002 के मध्य) कि 13.17 लाख रूपये से अंतर्ग्रस्त 79 प्रमाणपत्र मामलों को संबंधित अभियाचना अधिकारियों (अगस्त 1982 और अगस्त 1999 के मध्य) को प्रतिप्रेषित किये गये लेकिन इन मामलों के संबंध में की गई अनुवर्ती कार्यवाहियों की जानकारी लेखापरीक्षा को नहीं दी गई। इस कारण से बकाया 13.17 लाख रूपये की वसूली नही हुई।

---

[10] *भोजपुर, गया, पटना और रोहतास।*

[11] *उप निदेशक, खान, पटना और गया।*

[12] *दरभंगा, गया, मधुबनी, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर।*

(ई) वारंटों के निष्पादन का कार्यान्वयन न होना

मुजफ्फरपुर जिला से संबंधित लंबित प्रमाणपत्र मामलों की नमूना जाँच के दौरान यह देखा गया कि 1976–77 और 1991–92 के मध्य स्थापित 14.12 लाख रूपये से अतंर्ग्रस्त 50 मामलों में प्रमाणपत्र देनदारों के वर्तमान पता के अभाव में वारंटों का निष्पादन नहीं हो सका।

7.02.15 आंतरिक नियंत्रण और अनुश्रवण

अधिनियमों और नियमों तथा समुचित अनुदेशों के प्रावधानों के अनुरूप विभाग के कार्यकलापों को विनियमित करने के क्रम में और राजस्व के उद्ग्रहण, मांग और वसूली के अनुश्रवण के क्रम में एक आंतरिक कार्यतंत्र का विभाग में होना आवश्यक है।

उपरोक्त तथ्यों से, यह अवलोकित हुआ कि खान और भूतत्व विभाग के पास एक सक्रिय आंतरिक नियंत्रण कार्यतंत्र नहीं है। निदेशालय खान (बिहार) में आंतरिक नियंत्रण और अनुश्रवण के संबंध में पूछताछ (फरवरी 2002) करने पर यह कहा गया (मार्च 2002) कि विभाग संबंधित खनन पदाधिकारियों को रॉयल्टी के संग्रहण इत्यादि की प्रक्रिया को विनियमन और अनुश्रवण करने के लिए निर्देश देकर नियंत्रण करता है। उत्तर एक प्रभावी आंतरिक नियंत्रण और अनुश्रवण कार्यतंत्र के अस्तित्व का संकेत नहीं किया।

7.02.16 सिफारिशें

सरकार परीक्षण और विचार कर सकती हैं :

(i) राजस्व के उद्ग्रहण, संग्रहण और मांग की समुचित और यथासमय कार्यवाही की सुनिश्चितता के लिए एक नियंत्रण हेतु विशिष्ट और निश्चित कार्यतंत्र का सृजन करना;

(ii) अवैध खनन और उत्पादन के छिपाव के औचक निरीक्षण के लिए एक कार्यतंत्र सृजन करना;

(iii) रॉयल्टी के अपवंचन को कम करने के क्रम में खदानों/खानों का अनिवार्य रूप से अनुभागीय माप करना;

(iv) लंबित प्रमाण पत्र बकायों की वसूली हेतु पुलिस विभाग के साथ सहभागिता के लिए प्रभावकारी उपाय करना।

7.03 अर्थदंड नहीं/कम लगाया जाना

बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, 1972 तथा उसके अन्तर्गत 27 मार्च 1992 को निर्गत अधिसूचना के अतंर्गत, प्रत्येक ईंट भट्ठा का मालिक/ईंट मिट्टी ले जानेवाला अनुमति निर्गत होने से पहले ईंट भट्ठा श्रेणियों पर आधारित समेकित

रॉयल्टी की राशि का भुगतान पर आधारित समेकित रॉयल्टी की राशि का भुगतान करेगा। पुनः नियम 40 (8) के अनुसार, जो भी बिना वैध पट्टा/अनुज्ञप्ति के लघु खनिज को हटाता है, मूल्य भुगतान करने का उत्तरदायी होगा तथा सरकार वैसे व्यक्ति से उस अवधि के लिए जिसके द्वारा ऐसे व्यक्ति द्वारा बिना किसी न्यायोचित प्राधिकार के भूमि को कब्जे में रखा गया लगान, रॉयल्टी या कर, जैसा भी मामला हो, की भी वसूली कर सकती है।

7 जिला खनन कार्यालयों[13] में यह देखा गया (मार्च 2001 और फरवरी 2002 के मध्य) कि 2338 ईंट भट्ठे (ईंट मौसम 1996–97 और 2000–2001 के मध्य) 5.40 करोड़ रूपये के समेकित रॉयल्टी का भुगतान किये बिना और बिना वैध अनुज्ञप्ति के संचालित किये गये। इनमें से विभाग ने 50.39 लाख रूपये के अर्थदंड के लिए 563 मामलों में बिना खनिज के मूल्य के वसूली के मांग की। जिसके फलस्वरूप 4.90 करोड़ रूपये की राशि का अर्थदंड नहीं/कम लगाया गया।

इन्हें बताये जाने पर (मार्च 2001 और फरवरी 2002 के मध्य) सहायक खनन पदाधिकारी, (स. ख. प.) सासाराम ने कहा (सितम्बर 2001) कि मामला सरकार को मार्गदर्शन के लिए भेजा जायेगा।

मामले सरकार को प्रतिवेदित किये गये (मई 2002); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2002)।

7.04 बंदोवस्ती के दस्तावेजों के निष्पादन नहीं होने के कारण राजस्व की हानि

बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, 1972 के अन्तर्गत बालू की बंदोवस्ती जिला समाहर्त्ता द्वारा एक पंचांग वर्ष के लिए सार्वजनिक नीलामी द्वारा उच्चतम डाककर्त्ता के पक्ष में की जाती है तथा भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 में निर्दिष्ट मुद्रांक शुल्क के भुगतान पर बंदोबस्ती विलेख निष्पादित किया जाता है।

3 जिला खनन कार्यालयों (औरंगाबाद, भोजपुर और पटना) में 84 बालू क्षेत्रों को 1996 से 2001 के वर्षों के लिए भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 के अंतर्गत बंदोबस्ती के समुचित विलेखों के निष्पादन के बिना 21.19 करोड़ रूपये पर बंदोबस्त किया गया। इस प्रकार 1.33 करोड़ रूपये के उदग्रहणीय मुद्रांक शुल्क और अधिभार सरकार को छोड़ना पड़ा।

इसे बताये जाने पर (अगस्त 2001 और फरवरी 2002 के मध्य), स०ख०प०, पटना ने कहा (दिसम्बर 2001) कि नवम्बर 1994 में निर्गत अधिसूचना के अनुसार, ऐसे अनुबंध का निबंधन ऐच्छिक था, इस प्रकार हानि नहीं हुई। मन्तव्य मान्य नहीं है

13 *छपरा, दरभंगा, पटना, भोजपुर, औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर और सासाराम।*

क्योकि केवल निबंधन ही ऐच्छिक है परन्तु सभी मामलों में दस्तावेज का निष्पादित होना अनिवार्य है। अंतिम उत्तर प्रतिक्षित है (नवम्बर 2002)।

मामले सरकार को प्रतिवेदित किये गये (मई 2002); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2002)।

अध्याय 8 : अन्य कर भिन्न प्राप्तियाँ

8.01 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 2001–02 के दौरान की गयी लेखा परीक्षा में निम्नलिखित प्राप्तियों के अभिलेखों की नमूना जांच से राजस्व की हानि/वसूली नहीं होने आदि का पता चला, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है। :–

(रूपये करोड़ में)

क्रमांक	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि
	वन प्राप्तियाँ		
1.	विभागीय चूकों के कारण राजस्व की हानि	7	1.86
2.	अन्य	3	0.84
	कुल	**10**	**2.70**

वर्ष 2001–02 के दौरान संबंधित विभागों ने 54 मामलों में निहित 19.61 करोड़ रूपये की हानि को स्वीकार किये जिसमें 6.17 करोड़ रूपये से संबंधित 17 मामले वर्ष 2001–02 में एवं शेष मामले पिछले वर्षो में की गयी लेखा परीक्षा के दौरान प्रकाश में आये थे।

दृष्टांत स्वरूप राजस्व प्रभाव से निहित 0.89 करोड़ रूपये के कुछ मामले अनुवर्ती कंडिकाओं में किए गये हैं :–

वन प्राप्तियाँ

8.02 अतिक्रमित वन भूमि को खाली नहीं कराया जाना एवं सरकारी राजस्व अवरूद्ध होना

बिहार वन (संशोधित) अधिनियम, 1990 के अनुसार वनभूमि का अतिक्रमण संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध है। यदि किसी वन पदाधिकारी, जो किसी वन प्रमंडल पदाधिकारी (व0प्र0प0) के नीचे का पदाधिकारी नहीं हो, को यह विश्वास करने का कारण हो कि वन भूमि का अतिक्रमण हुआ है, तो वह अतिक्रमणकारियों को निष्कासित कर बिहार लोक भूमि अतिक्रमण, (बि0लो0भू0अ0), अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत एक दण्डाधिकारी को सौंपे गये अपनी सारी शक्तियों का प्रयोग करेगा। भारतीय वन अधिनियम, 1927 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अन्तर्गत वन भूमि अतिक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किए गये वन उत्पाद का मूल्य एवं वन भूमि एवं वन पदार्थ को पहुँचाए गये क्षति के लिए रॉयल्टी तथा क्षतिपूर्ति की वसूली विहित किया गया है।

मुंगेर वन प्रमंडल में वन अपराध पंजी के अवलोकन में पाया गया (नवम्बर 2001) कि वर्ष 1997–98 से 2000–01 तक 116 मामलों में 113.0536 हेक्टेयर वन भूमि का अतिक्रमण किया गया जिसमें रॉयल्टी की राशि 25.24 लाख रूपये एवं वन उत्पाद की क्षतिपूर्ति के एवज में 56.17 लाख रूपये सन्निहित थी। व0प्र0प0 ने अतिक्रमणकारियों के विरूद्ध मामले के निष्पादन हेतु बि0लो0भू0अ0 अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग करने के बजाय इन्हें अदालत में प्रेषित किया। फलतः 81.41 लाख रूपये राजस्व की वसूली अवरूद्ध रहा साथ ही अतिक्रमित भूमि को खाली भी नहीं कराया जा सका।

इसे बताये जाने पर (नवम्बर 2001 एवं मार्च 2002 के बीच) विभाग ने कहा (मार्च 2002) कि अधिकांश मामलों में अतिक्रमित वन भूमि अतिक्रमण से मुक्त करा लिया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अतिक्रमण से मुक्त कराए गये भूमि का न तो पूर्ण विवरण प्रस्तुत किया गया न ही उत्तर के समर्थन में लेखा परीक्षा द्वारा मांगे गये (मार्च एवं अप्रैल 2002) कोई अभिलेख उपलब्ध कराया गया। पुनः विभाग ने बताया (अप्रैल 2002) कि राजस्व की किसी प्रकार की क्षति नहीं हुई क्योंकि मामले अदालत में विचाराधीन थे। विभाग का यह उत्तर भी स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अधिनियम के अन्तर्गत व0प्र0प0 अपने उत्तरदायित्व से बचने के लिए मामले को अदालत में भेजा।

मामले सरकार को प्रतिवेदित किए गये (मई 2002); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2002)।

8.03 अवैध लकड़ी कटाई के फलस्वरूप राजस्व की क्षति

अवैध कटाई और तस्करी की रोकथाम के लिए सरकार ने अनुदेश निर्गत किया (अगस्त 1990) कि किसी भी वन में अवैध कटाई की घटना होने के 24 घंटे के भीतर छापा मारने और अपराधियों को हिरासत में लेने एवं उन पर मुकदमा चलाने के लिए शीघ्रातिशीघ्र कदम उठाया जाएगा। पुनः भारतीय वन अधिनियम,

1927 की धारा 58 और मुख्य वन संरक्षक, बिहार के अनुदेश (मई 1959) के अन्तर्गत नष्ट होने वाले जब्त वन पदार्थो आदि के अपराध अभियोजन मामलों को, वन पदार्थों को प्राकृतिक क्षय से बचाने हेतु, अदालत से अनुमति लेकर नीलामी द्वारा शीघ्रातिशीघ्र निष्पादित कर देना है।

वन प्रमंडल पदाधिकारी–सह–उप निदेशक का कार्यालय, वाल्मिकी टाईगर प्रोजेक्ट, चम्पारण प्रमंडल संख्या–II, बेतिया में देखा गया (मार्च 2002) कि 53 मामलों में सन्निहित 7.44 लाख रूपये मूल्य की विभिन्न किस्मों की लकड़ियाँ आरक्षित/सुरक्षित वन क्षेत्रों से वर्ष 1999–2000 एवं 2000–01 की अवधि में अपराधियों द्वारा अवैध रूप से काटकर हटा दिया गया। छापा मारकर एवं जब्ती कुर्की द्वारा लकड़ियों की बरामदी के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गयी। अवैध रूप से काटी गयी लकड़ियों की जब्ती नहीं होने एवं अनिष्पादित रहने के कारण वन उत्पाद के मूल्य के रूप में 7.44 लाख रूपये राजस्व की क्षति हुई।

इसे बताये जाने पर (मार्च 2002) वन प्रमंडल पदाधिकारी–सह–उप निदेशक ने कहा कि अवैध रूप से काटी गयी एवं चुरायी गयी लकड़ियों की बरामदी के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही थी। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अप्रैल 2002)।

मामले सरकार को प्रतिवेदित किए गये (मई 2002); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं।

विक्रम चन्द्र

पटना
दिनांक

(विक्रम चन्द्र)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार

प्रतिहस्ताक्षरित

वि॰ ना॰ कौल

नई दिल्ली
दिनांक

(विजयेन्द्र नाथ कौल)
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक

©
भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक
2004

मूल्य : रु० 65/-

सरस्वती प्रेस लिमिटेड द्वारा मुद्रित।

लेखापरीक्षा (राजस्व प्राप्तियाँ) बिहार 2001-2002